Monday, 14 May, 1973

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATE

Preservation Unit
Fumigated
On 24.8.92
Parliament Library

[सातवां सत्र
Seventh Session]

PARLIAMENT LIBRARY
73(8)
16.1.74

[खंड 28 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 56,— सोमवार, 14 मई, 1973/24 वैशाख, 1895 (शक)

No. 56,— *Monday, May* 14, 1973/*Vaisakha* 24, 1895(*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया में लेखन सामग्री (स्टेशनरी) के घोटाले का समाचार—	Reported stationery scandal in the State Bank of India, New Delhi—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	1
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chavan	1–4
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	Papers Laid on the Table .	4–5
श्री जाम्बुवन्त धोटे की गिरफ्तारी के बारे में	Re. Arrest of Shri Jambuwant Dhote	5–8 5
राज्य सभा से संदेश . .	Messages from Rajya Sabha .	8–9
विधेयकों पर अनुमति . .	Assent to Bills . .	9
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति . . .	Leave of Absence from the Sittings of the House .	9
नियम 377 के अन्तर्गत मामले—	Matters under Rules 377—	
(i) पाकिस्तान द्वारा विश्व न्यायलय के समक्ष युद्धबंदियों का मामला पेश किये जाने के के बारे में	(i) Re. Pakistan having moved the world court on question of Prisoners of War . .	9–10
(ii) बैंकों द्वारा तेलंगाना में कृषकों को तंग किया जाना	(ii) Harassment of Agriculturists by Banks in Telangana . .	10
(iii) कलकत्ता, दुर्गापूर आदि के लिए चावल के कोट में कमी का समाचार	(iii) Reported cut in Rice Quota for Calcutta, Durgapur etc. . .	10
वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में . . .	Re. Discussion on Pay Commission's Report . . .	11

1—13L.S.S./73

विषय	SUBJECT	
मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत और	Statutory Resolution Re. Proclamation in relation to the State of Manipur—*Adopted* and	
मणिपुर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—	Manipur State Legislature (Delegation of Power) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री मोहनराज कलिंगारायर	Shri Mohanraj Kalingarayar	11–12
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	12
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant . .	12–14
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 . .	14
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye. .	15
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh .	15
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant . .	15
कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक—	Coal Mines (Nationalisation) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam . . .	16–17
श्री रोबिन सेन	Shri Robin Sen . .	18
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya .	18–19
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	19–20
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey .	20–21
श्री मोहनराज कलिंगारायर	Shri Mohanraj Kalingarayar	21
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra .	21
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mehta . .	22
श्री राम सिंह भाई वर्मा	Shri Ramsingh Bhai Verma	22
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	23
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma . .	23
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . .	23
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhedeo Prasad Verma	23–24
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan .	24
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. M. Mishra . .	24
श्री रामदेव सिंह	Shri Ram Deo Singh	24–25
श्री चपलेंदु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyya . . .	25
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	25

विषय	SUBJECT	
खंड 2 से 35, अनुसूची और खंड 1	Clauses 2 to 35, The Schedule and Clause 1	28
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूपमें—	Motion to Pass, as amended—	
श्री राम चन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal	29
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	29
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mehta .	29
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavada	29
श्री मोहन राज कलिंगारायर	Shri Mohanraj Kalingarayar	29
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	30
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	30
डा० कैलास	Dr. Kailas . . .	30
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam	25-27 30
चलचित्र (संशोधन) विधेयक—	Cinematograph (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazara.	31
श्री धर्मबीर सिन्हा	Shri Dharam Bir Sinha .	31
खंड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1 . .	32
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूपमें	Motion to pass, as amended .	33
शिक्षु (संशोधन) विधेयक—	Apprentices (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	33
आधे घंटे की चर्चा—	Half-An-Hour Discussion—	
कनफेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा वतन आयोग के प्रतिवेदन को ठीक जांच करने के बारे में प्रधान मंत्री से अनुरोध—	Request by Confederation of Central Government Officers' Association to the Prime Minister for Fair Scrutiny of Pay Commission's Report—	
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . .	33-34
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	35-36

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 14 मई, 1973/24 वैशाख, 1895 (शक)
Monday, May 14, 1973/Vaisakha 24, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया में लेखन सामग्री (स्टेशनरी) के घोटाले का समाचार

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, I call the attention of the Minister of Finance to the following matter of Urgent Public Importance and request him to make a statement in this regard :

"Reported Stationery Scandal worth Rs. forty lakhs in the local branch of State Bank of India, New Delhi".

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सूचना दी है कि नई दिल्ली स्थित प्रादेशिक लेखन सामग्री विभाग (रीजनल स्टेशनरी डिपार्टमेंट) में आवश्यकता से अधिक लेखन सामग्री का स्टॉक रखने और उसे असन्तोषजनक ढंग से संभालने आदि के बारे में 1971 के अन्त में कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर उसने नई दिल्ली के स्थानीय मुख्य कार्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी से इस मामले की पूरी छानबीन करने के लिए कहा। मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर निम्न अनियमितताओं का पता चला :

(1) कई मामलों में लेखन सामग्री के लिए दिये गये क्रयादेशों का वास्तविक आवश्यकता से अधिक होना और कुछ मामलों में ऐसी मदों के लिए क्रयादेशों का दिया जाना जो अप्रचालित हो चुकी थीं ;

(2) कुछ मामलों में ऐसी लेखन सामग्री के लिए भुगतान किया जाना जिसके लिए क्रयादेश नहीं दिए गये थे और कतिपय मामलों में ऐसे बिलों का भुगतान करना जिनके भाव स्वीकृत भावों से ऊंचे थे ;

(3) कुछ मामलों में स्वीकृत वजन के अच्छी किस्म के कागज के बजाय छपाई के लिए और रजिस्टरों एवं लिफाफों के लिए घटिया किस्म के कागज स्वीकार करना ; और

(4) कई मामलों में भावों को स्वीकृत करने के लिए भाव समिति को गलत सूचना देना।

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

मुख्य सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर बैंक ने लेखन सामग्री विभाग के तीन अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरु कर दी है। इन तीन में से दो को बैंक द्वारा मुअत्तिल कर दिया गया है। बाद में इन तीनों अधिकारियों को बैंक ने आरोप पत्र दे दिये और उन से उसका जबाब मांगा। बैंकने कुछ ऐसे अन्य अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगे हैं जो क्रियाविधि सम्बन्धी कुछ अनियमताओं और छोटी-मोटी गलतियों के लिए जिम्मेदार पाये गये हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने सूचना दी है कि उसके द्वारा की गई विस्तृत छानबीन के आधार पर चार वर्षों के दौरान नई दिल्ली स्थित प्रादेशिक लेखनसामग्री विभाग ने कुल 114 लाख रुपये के मूल्य की जो लेखन सामग्री खरीदी उसमें से लगभग 1.22 लाख रुपये के राशि की अधिक अदायगी की गई तथा 45 लाख रुपये का अधिक भण्डार रखा गया।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, the Hon. Minister has made last minute amendment in the statement and have added a sentence about overstocking of Rs. 45 lakhs. I want to know whether you had prier information about it and the Hon. Minister had sought your permission for making the addition ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को अन्तिम क्षण तक, अपने वक्तव्य में संशोधन करने का अधिकार है।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the hon. Minister should not seek prior permission ? Would you allow us to make changes in our personal explanation without prior permission and whether such a permission would be giver in future also ?

Mr. Speaker : Earlier it had been decided that the Minister can make last-minutes changes. He has just to inform the Table.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अधिक भुगतान की कुल राशि करीब 1.22 लाख रुपय होगी और 45 लाख रुपये का अधिक भण्डार रखा गया। मैंने केवल यही एक वाक्य जोड़ा है। सम्बद्ध सम्भरणकर्ताओं (सप्लायर्स) को जो अधिक रकम अदा की गई है उनसे उस रकम की वसूली के लिए बैंक ने कार्यवाही शुरु कर दी है। घटिया किस्म का जो माल सप्लाई किया गया है उसके कारण हुई हानि का अनुमान लगाया जा रहा है। आवश्यकता से अधिक जो लेखन सामग्री प्राप्त हो गई है उसको अन्य मण्डल (सर्कल) की शाखाओं में भेजकर, जहां उसकी आवश्यकता है, इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंक ने यह भी बताया है कि उसने, नई दिल्ली स्थित प्रादेशिक लेखन सामग्री विभाग द्वारा लेखन सामग्री की छपाई उस की खरीद तथा उसका स्टाक रखने और वितरण करने के लिये निर्धारित क्रियाविधि का कठोरता से पालन करने की पूरी व्यवस्था करने के बारे में समुचित कदम उठाये हैं।

Shri Madhu Limaye : The matter relates to the year 1971. For how long this process will continue. Similarly the hon. Minister has said that there has been overstocking of Rs. 45 lakhs which is being put to proper uses. A departmental enquiry is being conducted but the people have no faith. A Parliamentary Committee should therefore be appointed to go into the matter and the scandal of Rs. 60 lakhs.

Lastly you can well imagine that due to overstocking of Rs. 45 lakhs, there has been misuse of Public funds. Had these funds been utilised for installation of pumping sets, the production would have gone up and the prices would have come down.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 60 लाख रुपये के मामले में भी कोई घोटाला नहीं था। इसके बारे में आश्वासन देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

यह सही है कि 45 लाख रुपये के अधिक भंडारण से बैंक को हानि हुई है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि इस का अधिक अच्छे कार्यों के लिये प्रयोग किया जा सकता था। फिर भी यह शुद्ध हानि नहीं है। इसे अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं में वितरित करके उपयोग में लाया जा रहा है। 45 लाख रुपयों में से लगभग 17 लाख रुपये के मूल्य की लेखन सामग्री बांटी जा चुकी है और शेष आगे बांट दी जायेगी।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग में लाने के कारण हुई हानि की जांच करने में कितना समय लगेगा। इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि यह एक बहुत ही जटिल मामला है। प्रयोग में लाई जा चुकी सामग्री का पता लगाना बहुत कठिन है। तथापि शेष सामग्री की लागत का पता लगाया जायेगा।

मेरा यह विचार नहीं है कि इस मामले की जांच करने हेतु एक समिति की नियुक्ति का भार सभा पर डाला जाये। बैंक के अपने भी कुछ नियम-विनियम हैं और बैंक नियमों के अनुसार जांच कर रहा है। यह एक ऐसा मामला भी नहीं है कि जिसमें न्यायिक जांच का आदेश दिया जा सके। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की बदनामी करना उचित नहीं है। ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है जैसे कि स्टेट बैंक उन बैंकों में से हो जिनका कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। किन्तु समग्र रुप से बैंक के कार्य को देखते हुए मैं अवश्य ही यह कहूंगा कि यह अच्छे बैंकों में से एक है।

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : कुछ मास पूर्व स्टेट बैंक में 60 लाख रुपये का कांड हुआ था। अब पुनः यह घोटाला हुआ है। मंत्री महोदय ने उस कांड से कोई शिक्षा नहीं ली। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी बात पुनः न होने देने की दृष्टि से विभाग को सतर्क क्यों नहीं रखा दूसरे जिस समय स्टेट बैंक में यह घोटाला हो रहा था, उस समय इस बात की ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। इससे स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसी गतिविधियों से लाभ उठा रहे थे। मामले का पर्दाफाश होने पर ही उत्तरदायी अधिकारि के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गई। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह उच्चतम न्यायालय के एक न्यायधिश की नियुक्ति करके न्यायिक जांच का आदेश देंगे। तीसरे, इस मामले में सभी वित्तीय नियम तथा विनियमों का उल्लंघन किया गया है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने तथा वर्षाकालीन अधिवेशन से पूर्व एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं !

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे है। सर्वप्रथम, सरकार ने इस का पता लगाने और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है, कि इस बात का बैंक में ही पता लगा। 1971 में इसका पता चलने पर इस मामले की जांच का काम सतर्कता अधिकारी को सौंपा गया। उसने इस पर विस्तार से विचार करने के पश्चात् जून में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बैंक के द्वारा कार्यवाही आरम्भ किये जाने के पश्चात हमें इस मामले का पता चला और तत पश्चात यह मामला समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ दूसरा प्रश्न न्यायिक जांच के बारे मे उठाया गया है जिसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं। जहां तक संसदीय समिति का सम्बन्ध है, एक संसद-सदस्य के पास इससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य करन के लिए हैं।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : The Minister's reply in regard to Rs. 60 lakh scandal is very unfortunate where he has said that there has been no scandal. I want to know the time, the date and the month in which the scandal first came to the notice of the Government and the steps taken by the Government thereafter ? Secondly, why was it not considered necessary to go to C.B.I. when such a heavy amount is involved. Thirdly high officials are involved in the matter and they can spoil the record. In the circumstances, whether Government have appointed any special auditors to verify the sales ?

Some big firms are involved in the scandal. In spite of that, orders are being placed with them. May I know whether Government have paid any attention to this matter. All the details may be furnished to the House.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : महोदय, सर्वप्रथम माननीय सदस्य ने पूछा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा इसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई। अब तक जो जांच की गई है उससे पता चला है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच कराना आवश्यक नहीं है क्योंकि सूचाना के आधार पर विभागीय कार्यवाही के माध्यम से अधिकारियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध किये जा सकते हैं। परन्तु यदि जांच के दौरान हमें ऐसे स्पष्टीकरण मिलते है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास जाना आवश्यक है तो बैंक संभवत: इस मामले पर विचार कर सकता है। हर बैंक में लेखापरीक्षा की अपनी व्यवस्था है। अत: माननीय सदस्य के मन से यह आशंका दूर हो जानी चाहिए कि लेखापरीक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। आपूर्ति के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि अब तीन महीने की आवश्यकता के आधार पर माल प्राप्त किया जाता है और अब फालतू माल प्राप्त नहीं किया जाता। प्राप्त माल के मूल्य का प्रतियोगी दरों पर भूगतान किया जाता है और ये दरें केन्द्रीय लेखन-सामग्री विभाग, कलकत्ता द्वारा निर्धारित की गई हैं। फालतू लेखन-सामग्री बैंक के अन्य मंडलों को भेज दी गई हैं। वस्तु सूची में कमी कर दी गई है और मान्य मुद्रकों और संभरण-कर्ताओं की एक सूची तैयार करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। एक बहुत बड़े संभरणकर्ता का नाम जो इस मामले से सम्बन्धित था, काली सूची में दर्ज कर लिया गया है और अन्य लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1972 मास्टरों तथा मेटों की परीक्षा (संशोधन) नियम 1973 और अन्तर प्रवेश मोटरगाडी कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : मैं श्री राज बहादुर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 949 में प्रकाशित हुई थी तथा शुद्धि पत्र की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1515 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 5027/73।]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मास्टरों तथा मेटों की परीक्षा (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 272 में प्रकाशित हुये थे [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5058/73**]

(3) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1963 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० आर० टी० 222 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 8 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रंथालय में रखी गयी [देखिए संख्या एल० टी० 5059/73**]

श्री जम्बुवन्त धोतें की गिरफ्तारी के बारे में
RE. ARREST OF SHRI JAMBUWANT DHOTE

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्र गढ़) : मैं श्री धोतें की गिरफतारी के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। उनको सभा में आने की अनुमति नहीं दी गई है। न्यायालय ने 'मीसा, के कुछ उपबन्धों को रद्द कर दिया गया है। फिर भी उन उपबन्धों को इस सभा के सदस्यों के विरुद्ध लागू किया जा रहा है।

श्री इंद्रजीत गुप्त (अलीपुर) : प्राधिकारियों ने सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में आप को जो सूचना भेजी है क्या उसमें इस बात का उल्लेख है कि सदस्य की गिरफ्तारी 'मीसा' के अधीन की गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह राव ने मुझे जो कुछ लिखा है उसके आधार पर मैं मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : गृह मंत्री महोदय को यह बताने के लिए कहा जाये कि किन परिस्थितियों में सदस्य के विरुद्ध 'मीसा' का प्रयोग करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जानकारी मांगी है और इसके आ जाने पर मैं माननीय सदस्य को बुलाऊंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

आवास और नागरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

निर्माण कार्य और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971–72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5060/73]

पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड चंडीगढ का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत पंजाब कृषि उद योग निगम लिमिटड, चंडीगढ़ के 31 मई, 1971 समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा टल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० 5061/73]**

दिल्ली, मेरठ, बुलन्द शहर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद् नियंत्रण आदेश 1973 और आन्ध्र प्रदेश पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : मैं प्रो० शेरसिंह की ओर निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) क अन्तर्गत दिल्ल मेरठ और बुलन्द शहर दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1973 (हिन्दी त अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 मई, 1973 में अधि सूचना सां० आ० 268 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 5062/73]**

(2) (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक जनवरी, 1973 की उद्घोषणा खंड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश पंचाय समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1959 की धारा 69 की उपधारा (2) अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति :–

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 295 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 20 जुला 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा साविधिक पंचायत समितियों अ जिला परिषदों के विभिन्न संवर्गों के सदस्यों को नियुक्ति और स्थानान्तरण के लि सक्षम प्राधिकारी से सम्बन्धित नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है त एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 296 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 20 जुलाई, 197 में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश पंचायत समिति और जिल परिषद् अनुसचिवीय सेवा नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) जी० ओ० एम० संख्या 307 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 13 जुलाई, 197 में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा साविधिक पंचायत समितियों और जिल परिषदों के विभिन्न संवर्गों के सदस्यों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए सक्षम प्राधिकारी से सम्बन्धित नियमों कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(चार) जी० ओ० एम० संख्या 309 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 13 जुलाई 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा जिला संवर्ग में सम्मिलित पदों के लिए उम्मीदवारों के चुनाव से सम्बन्धित नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाएं राज्य विधान मण्डल के समक्ष न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाले चार विवरण।

(ग) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखी जाने के कारण स्पष्ट करने वाले चार विवरण।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5063/73]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउन्डरी एण्ड फोर्ज टेक्नालाजी, रांची के वार्षिक प्रतिवेदन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के 1970-71 के प्रमाणित लेखे

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5064/73]

(2) (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टेकनोलाजी, रांची के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल0 टी0 5065/73]

(3) (एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त लेखे को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल0 टी0 5066/73]

नेशनल इंस्ट्रूमेंटस एण्ड ओपथेल्मिक ग्लास लिमिटेड, कलकत्ता की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): मैं श्री पी० के० मुकर्जी की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1)

के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एण्ड ओपथेल्मिक ग्लास लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1971–72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एण्ड ओपथल्मिक ग्लास लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5067/73]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:—

(एक) 'मुझे लोक–सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य–सभा ने शुक्रवार दिनांक 4 मई, 1973 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के सम्बन्ध में निम्न-लिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा लोक–सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक–सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजित करने हेतु 30 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले कार्य काल के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने और उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सात सदस्य सभापति के निदेशानुसार निर्वाचित करने की कार्यवाही करती है।"

(2) मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार उक्त समिति में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को यथाविधि निर्वाचित किया गया है :

1. श्री एम० आनन्दन
2. श्री गोपाल बाखोरा
3. श्री बिपिनपाल दास
4. श्री नवल किशोर
5. श्री पी० एस० पाटिल
6. श्री शशांक शेखर सान्याल
7. श्री सवाईसिंह सिसोदिया।

(दो) मुझे लोक–सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार 4 मई, 1973 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि यह सभा लोक–सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक–सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में सहयोजित करने हेतु 30 अप्रैल 1974 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए राज्य सभा के पांच सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत है और सभापति द्वारा बताये गये ढंग से उक्त समिति में काम करने के लिए सभा के पांच सदस्यों को निर्वाचित करती है।"

2. मुझे लोक-सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त समिति में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को यथाविधि निर्वाचित किया गया है :—

1. श्री एम० एस० अब्दुल कादर
2. श्री लाल के० अडवानी
3. श्री यू० एन० महीदा
4. श्रीमती पूरवी मुखोपाध्याय
5. श्री सूरज प्रसाद

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

2. महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) वित्त विधेयक, 1973
(2) उड़ीसा राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973 ।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने दसवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में दिखाई गई अवधियों के लिए निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाये :

1. श्री दिनेश सिंह
2. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
3. श्री तुलसीदास दासप्पा
4. श्री के० गोपाल
5. श्री सैयद अहमद आगा
6. श्री विश्वनाथ झुझुनवाला

मेरा विचार है कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

कई सदस्य : हां

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जायगा :

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) पाकिस्तान द्वारा विश्व न्यायालय के समक्ष युद्ध बन्दियों का मामला पेश किये जाने के बारे में

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : समाचार पत्रों के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने विश्व-न्यायालय में युद्ध बन्दियों का प्रश्न उठाया है । उनके मतानुसार, भारत द्वारा उन युद्ध बन्दियों को बंगला देश को नहीं सौंपा जाना चाहिए जो नरसंहार, बलात्कार, लूटमार और अन्य अपराधों के

[श्री एस० एम० बनर्जी]

लिए दोषी हैं और नरसंहार के अपराध के निवारण और दण्ड के सम्बन्ध में 1948 के जनेवा सम्मेलन के आधार पर इन लोगों के बारे में निर्णय लेना केवल पाकिस्तान के क्षेत्राधिकार में आता है।

समाचारों के अनुसार बंगला देश के विदेश मंत्री डा० कमाल हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत से बंगला देश में युद्ध–बंदियों को मुकदमें के लिए भेजने से रोकने के लिए विश्व न्यायालय में जो प्रार्थनापत्र भेजा है वह पाकिस्तान की एक नई चाल है। इस प्रकार के उपायों का सहारा लेकर वे मामले को सुलझाने में विलम्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्री को इस प्रश्न पर यथाशीघ्र वक्तव्य देने के लिए कहा जाये। किसी भी परिस्थितियों में हमें इस मामले में पाकिस्तान की धमकियों में नहीं आना चाहिए और इस मामले में बंगला देश की राय ली जानी चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह मामला बहुत गम्भीर है क्योंकि इससे शिमला समझौते का उल्लंघन होता है। पाकिस्तान कुछ व्यक्तियों को मुकदमें के लिए बंगला देश भेजने से हमें रोकने का प्रयास कर रहा है। भारत बंगला देश की संयुक्त विज्ञप्ति में युद्ध बंदियों को छोडने और पाकिस्तान तथा बंगला देश की ओर से असैनिक लोगों के आदान प्रदान के बारे में उल्लेख किया गया है जिसकी समूचे विश्वने आदर की दृष्टि से प्रशंसा की है। इस मामले में सरकार कौन-से कदम उठाने का विचार रखती है? क्या भारत सरकार भी विश्व न्यायालय में इस मामले को उठायेगी। हम चाहते हैं कि विदेश मंत्री यथाशीघ्र एक वक्तव्य दें जिस में समूची स्थिति तथा भारत सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जाये।

(दो) बैंकों द्वारा तेलंगाना में कृषकों को तंग किया जाना

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : तेलंगना की घटनाओं के बारे में जान कर बहुत दुःख हुआ। इन परिस्थितियों में बैंकों ने कृषकों को अत्यधिक परेशान किया। यह सही है कि हैदराबाद के स्टेट बैंक अन्य ज़िला सहकारी बैंक और कृषि ऋण समितियां किसानों को ऋण देती रही हैं।

वहां सूखा, अकाल पड़ा है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जानवरों के लिये चारा नहीं है और वे मर रहे हैं। लोग गाव छोडकर भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में बैंक ऋण की वसूली के लिये दबाव क्यों डाल रहे हैं जबकि किसानों ने आंध्र प्रदेश सरकार के पास कई बार अपने अभ्यावदन भेजे हैं? मैं नहीं जानता कि सरकार के सलाहकार इन किसानों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। इस मामले में वित्त मंत्री को सलाहकारों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये अनुदेश देने चाहिये।

(तीन) कलकत्ता-दुर्गापुर आदि के लिए चावल के कोटे में कमी का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली दिनांक 13–5–73 के अनुसार कलकत्ता, दुर्गापुर–आसनसोल बैल्ट, दार्जलिंग और अन्य सांविधिक राशनिंग क्षत्रों के लिये चावल के कोटे को इस महीने के तीसरे सप्ताह से 150 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिसप्ताह कम किया जायेगा। यह कहा गया है कि यह कटौती इसलिये की गई है क्योंकि केन्द्र 25,000 से अधिक मीटरी टन प्रति मास चावल की सप्लाई करने में असफल रहा है, जबकि सांविधिक राशनिंग क्षेत्रों के सम्बन्ध में 35,000 मीटरी टन की आवश्यकता को पूरा करने का वचन दिया गया था। इस सम्बन्ध में कृषि मंत्री को एक व्क्तव्य देना चाहिये।

———

वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में

RE. DISCUSSION ON PAY COMMISSION'S REPORT

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): आज की कार्य सूची में अन्तिम मद है वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में आधे घंटे की चर्चा। हमें बताया गया था कि वित्त मंत्री उस पर चर्चा करने में असमर्थ हैं, इस सम्बन्ध में वे किसी प्रकार का कोई वचन देने को तैयार नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस आधे घंटे की चर्चा का उत्तर देंगे? हम उनसे केवल 'हां', या 'नहीं' में उत्तर चाहते हैं, मेरा आप से केवल यह निवेदन है कि इस आधे घंटे की चर्चा को दो घंटे की चर्चा में बदल दिया जाय ताकि दोनों प्रस्तावों पर चर्चा की जा सके।

अध्यक्ष महोदय: अगर वे चर्चा के लिए तैयार हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): It appears that the Government want to evade this discussion intentionally. There is discontentment among the Government employees in the country about the Report of the Pay Commission.

अध्यक्ष महोदय: मैं संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की स्थिति क्या है। श्री बनर्जी आधे घंटे की चर्चा के बदल पूर्ण चर्चा के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): इस सम्बन्ध में मेरी वित्त मंत्री से बात हुई थी जैसा कि श्री बनर्जी ने स्वयं पहले कहा था कि यह अधे घंटे की चर्चा भिन्न पहलू के बारे में है, यह केवल प्रासंगिक है। वित्त मंत्री का विचार यह था कि क्योंकि सरकार प्रतिवेदन की जांच कर रही है इसलिये उस पर यहां चर्चा करना अभी उचित नहीं है।

श्री समर गुह (कन्टाई): यह अधे घंटे की चर्चा प्रत्यक्ष रूप से वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में है, इस पर चर्चा के लिए वे हमें आनुमति नहीं दे रहे हैं क्यों कि प्रतिवेदन की जांच की जा रही है क्या परीक्षा "एक्जामीनेशन" और जांच "सक्रुटिनी" के बीच कोई अन्तर है? क्या मंत्री महोदय ने जो कहा उसमें विरोधाभास नहीं है?

श्री वसंत साठे: व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

अध्यक्ष महोदय: मैं तो नहीं समझ सका।

मनीपूर राज्य के सम्बन्ध में की गई ऊदघोषणा के बारे में संविधिक संकल्प और मनीपूर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE: PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF MANIPUR AND MANIPUR STATE LEGISLATURE (DECLARATION OF POWERS) BILL—contd.

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहनराज कालिंगारयार

श्री मोहनराज कालिंगारयार (पोलाची): यदि केन्द्रीय सरकार मनीपुर की पर्यटन-क्षमता में सुधार करने के लिये प्रभावकारी और साहसिक कदम उठाए, तो यह राज्य दूसरा काश्मीर बन सकता है। इससे न केवल हजारों पर्यटक आकर्षित होंगे बल्कि काफी विदेशी मुद्रा भी कमाई जा सकेगी।

(श्री मोहनराज कलिंगारयार)

मनीपुर सामरिक महत्व का स्थान है। जब तक सरकार मनीपुर की जनता को प्रसन्न और सन्तुष्ट नहीं करती, तब तक हम उनसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा और रक्षा का समर्थन कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

मैं मनीपुर की वास्तविक हालत के बारे में जानना चाहता हूं। राज्यपाल ने विधान सभा के निलम्बन की सिफारीश की है किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उसे आलोचना का भय है जोकि सभी पक्ष करेंगे। गृह मंत्री के अनुसार सरकार ने मनीपुर के राज्य पाल की सलाह के विरुद्ध यह कार्य इसलिये किया है ताकि सभी प्रकार की राजनीतिक सौदेबाजी को समाप्त किया जा सके। किन्तु क्या विधान सभा के निलम्बन की सिफारिश करते समय राज्यपाल को इस बात का पता नहीं था। यदि वे निलम्बन की सिफारीश करके राजनीतिक सौदेबाजी जारी रखना चाहते है तो उन्हें अविलम्ब ही राज्यपाल के पद से हटा दिया जाना चाहिये। निलम्बन की सिफारीश करके वे केवल सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के हितों की सुरक्षा करना चाहते थे।

इन्हीं परिस्थितियों में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्यपालों की समिति ने कई सिफारिशें की थीं, किन्तु हम देखते है कि राज्यपाल अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं और इन सब मामलों में एक समानता नहीं है तथा सत्तारूढ़ दल के हितों की रक्षा करना ही उनका निहित उद्देश्य होता है। यही कारण है कि केन्द्रीय सरकार दल-बदल विरोधी विधेयक पेश करने की इच्छुक नहीं है। दल-बदल सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन प्राप्त करने के तीन वर्ष बाद भी सरकार ने इस विधेयक को सभा के समक्ष लाने के लिये कदम नहीं उठाये हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, At present there is President's Rule in three States *viz*. Orissa, Andhra Pradesh and Manipur. Under Article 356 of the Constitution the President could take *Suo Motu* action as well as act on the advice of the Governor. In the case of Manipur the Governor has stated in his Report that 18 members in a House of 60 has defected from their parties. Perhaps in order to punish the defectors the Governor advised the Central Government to promulgate President's Rule in the State. We would like to know whether the defection was an offence under the constitution or any other law of the country.

The question of defction had been before us for a long time but the Government did not care to take any action. It was only when defections began in the Congress Party that the Government became anxious about it. In the Report of the Governor of Manipur, an attempt had been made to punish the defectors. But so long as the Government did not bring forward any law or set up any convention, they had no right of dissolving the assembly.

Articles 356 should not be used in an arbitrary manner. It should be used in accordance with some definite principles laid down in regard to the President's Rule and those principles should be uniformly obeserved in regard to all the States.

Further, the question whether a Chief Minister enjoyed support had to be decided on the floor of the Assembly and not in the Raj Bhavan.

The States should be allowed to have complete autonomy in their sphere. But what was happening today was that the centre was going on curtailing their rights which was against all democratic norms. The people of Manipur should be allowed to enjoy full democratic rights.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : यह कहा गया है कि जब भी वैकल्पिक सरकार का प्रश्न उठे, साधारणतया सत्तारूढ़ दल के बहुमत का निर्णय विधान सभा में होना चाहिये। किन्तु यदि कोई मनीपुर की स्थिति को ध्यान पूर्वक देखे तो पता चलेगा कि इस बात का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

और जब विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो 32 सदस्य विपक्ष की तरफ बैठे और 26 सदस्य दुसरी ओर। अतः सदन में यह स्पष्ट हो गया कि सत्तारुढ़ दल ने अपना बहुमत खो दिया और मुख्य मंत्री ने स्वयं अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे दिया इससे वह स्थिति उत्पन्न हो गई जिसका उल्लेख राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में किया है।

वैकल्पिक सरकार बनाने का प्रश्न तब उठता यदि केन्द्रीय सरकार ने विधान सभा निलम्बित करने के सम्बन्ध में राज्यपाल की सलाह मान ली होती। किन्तु जब उन्होंने एक बार विधान सभा भंग करने का निर्णय कर लिया, तो स्वभावतया यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विधान सभा को निलम्बित करने की सिफारिश के लिये राज्यपाल पर आरोप लगाना उचित नहीं। उन्होने यह नहीं कहा कि वह दल बदलुओं को सजा देगें। उन्होंने यही कहा है कि यदि 32 में से 18 सदस्यों ने दल बदल लिया और पुनः कभी इस दल और कभी उस दल में मिल गये हैं तो ऐसी अवस्था में बहुमत में स्थायित्व नहीं हो सकता।

अपने प्रतिवेदन में राज्यपाल ने बजट की निश्चित अवधि तथा इस कारण से राष्ट्रपति शासन लागु करने के कारणों के बारे में भी बात की है। यह प्रतिवेदन सुदृढ़ तर्कों पर आधारीत है तथा इन हालत में तथ्य बिलकुल स्पष्ट हैं। अतः मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि राज्यपाल को त्यागपत्र देने के लिये कैसे कहा जा सकता है।

कुछ सदस्यों ने यह कहने का प्रयत्न किया है कि कांग्रेस किसी न किसी तरह वहां अपनी सरकार बनाना चाहती है इस लिये दूसरी सरकार का पतन करा दिया गया है। यह बात सचाई से कोसों दूर है। सरकार तथा उसकी दूसरी शक्ति उत्तरोत्तर कम जोर हो रही थी। इस कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। पिछले बारह महीनों में जब यह सरकार शासन कर रही थी तो केन्द्रीय सरकार दूसरे राज्यों की तरह ही अपनी सत्ता बनाये रखने की इच्छुक थी। हमने न केवल इस सरकार को, जोकि विपक्षी दल की सरकार थी, अपना सहयोग दिया है बल्कि हम हमेशा अपने दल के लोगों को सलाह देते रहे हैं कि इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न न होने दें जिसे इस सरकार का पतन हो जाये।

यदि हम कांग्रेस को सत्ता दिलाना चाहते तो सीधी बात यह थी कि हम राज्यपाल की सलाह मानकर आगे कार्यवाही करते, किन्तु यही उचित सोच कर कि मनीपुर के लोगों को अपनी सरकार चुनने का एक और अवसर दिया जाये और राज्य पाल के द्वारा बताये गये तथ्यों को ध्यान में रखकर हमने विचार किया कि विधान सभा को भंग कर दिया जाये। जिसका अर्थ यह था कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सत्ता प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिये केन्द्रीय सरकार पर पक्षपात पूर्ण रवैये का आरोप लगाना अनुचित है।

जहा तक शीघ्र चुनाव कराने का प्रश्न है, हम मनीपुर में शीघ्र चुनाव कराना चाहते हैं किन्तु जन-गणना कार्य की समाप्ति के पश्चात कानून के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र की सीमायें फिर से निर्धारित की जानी चाहिये तथा चुनाव कराने से पूर्व इस प्रक्रिया को पुरा करना होगा जिसमें निश्चय ही कुछ समय लगेगा।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने पिछली सरकार के अनेक भ्रष्टाचार के मामलों का उल्लेख किया था, उन सब आरोपों की जांच की जायेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ पक्षपात करने का कोई प्रश्न नहीं है। हमें देश से सभी पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना है और विशेष समस्याओं की ओर ध्यान देना है। इस मामले में हमें संचार और अन्य विशेष समस्याओं को राष्ट्रीय नीति के रूप में हल करना है।

जहां तक पिछली सरकार के शासन के दौरान भ्रष्टाचर का प्रश्न है, हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान मणिपुर को एक स्वच्छ प्रशासन दें।

[श्री कृष्णचन्द्र पंत]

मणिपुर में व्याप्त सूखे के बारे में मुझे यह कहना है कि दुर्भाग्य वश इस वर्ष और पिछले वर्ष वहां पानी नहीं पड़ा और इससे वहां कृषि को काफी हानि पहुंची है। मैं जानता हूं कि वहां पानी की भी कमी है।

इस क्षेत्र के सामान्य विकास के लिए हम पांचवीं योजना तैयार करते समय इसके दीर्घकालीन हितों का ध्यान रखेंगे।

मणिपुर की ललित कलाओं, उसके गीतों और नृत्यों की अपनी एक परम्परा है जिसे यह क्षेत्र कि विपुल सांस्कृतिक धरोहर के रूप में रखे हुये है। पूरे देश को इस पर गर्व है। हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि मणिपुर संस्कृति अपने परमोत्कर्ष पर पहुंचे।

श्री झारखण्ड राय ने कहा है कि मणिपुर में अब भी सामन्तशाही शोषण में लगी हुई है। मेरा निवेदन है कि मणिपुर भूमि राजस्व और भूमि सुधार संशोधन विधेयक 1973 उन कानूनों में से एक है जो कि हम राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्यवाही द्वारा पारित करना चाहते हैं।

मणिपुर एक महत्वपूर्ण सीमान्त क्षेत्र है। अत: हमें इसे मजबूत बनाना है ताकि यह क्षेत्र अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह से निभा सके। इसके साथ हमें उन कुछ लोगों को, उन कुछ युवकों को भी समझाना चाहिये जो पृथकता की बातें करते हैं। हालांकि यह कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, फिर भी इस ओर हमें ध्यान अवश्य देना है।

कुछ सदस्यों ने दल बदल विधेयक के बारे में बात की है। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि यह विधेयक अब तैयार है और इसे इस सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में 28 मार्च 1973 को जारी की गई उदघोषणा का अनुमोदन करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि राष्ट्रपति को मणिपुर राज्य विधान-मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रुप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है "कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोडे गये।

Clause 2 and 3 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोडे गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि विधेयक पारित किया जाये ।"

Shri Madhu Limaye (Banka) : Instead of giving powers to the Governors to punish the defectors, Government should herself frame some law in this respect.

As regards those youngmen who are in favour of cessation of Manipur from India Government should take a generous attitude and release those persons. We should allow them to reconsider their polcies and attitude.

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : राज्यपाल के प्रतिवेदन में बताया गया है कि मणिपुर के लोग पहले ही राष्ट्रपति शासन से उब चुके हैं । यह बेहतर होता कि किसी एक दल को, जिसको बहुमत प्राप्त होता, मंत्रिमण्डल बनाने दिया जाता ।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि नौकरशाही को ठीक ढंग से व्यवहार करना चाहिये । उन्हें पहाड़ी क्षेत्र और घाटी के लोगों को आपस में लड़ाना नहीं चाहिये उनमें मतभेद पैदा नहीं करने चाहिये । गृह मंत्रालय को इस विशेष पहलू की ओर ध्यान देना चाहिये ।

एक अन्य बात जिसकी ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है, वह यह है कि मणिपुर के छात्र निम्न आय वर्गों को छात्रवृत्ति देने हेतु आंदोलन कर रहे हैं । मणिपुर की अधिकांश जनता गरीब है । अतः मेरा निवेदन है कि गृह मंत्रालय और राज्य के सम्बधित शिक्षा अधिकारियों को इसे सरकारी तौर पर नहीं लेना चाहिये और निम्न आय वर्ग को छात्रवृत्तियां देने हेतु सभी बजटों में पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिये ।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : श्री मधु लिमये ने राज्यपाल की रिपोर्ट का उल्लेख किया है । मैं भी उसी रिपोर्ट का उल्लेख करता हूं जिसमें पृष्ट 5 पर लिखा है कि 31 में से 13 सदस्यों ने दल बदल किया है और कुछ ने तो एक से अधिक बार दल बदला है । रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यदि पी० डी० ए० की सरकार बनाई भी जाये तो वह स्थाई नहीं होगी क्योंकि पद न मिलने पर कुछ लोग फिर दल बदल लेंगे । अतः राज्य पाल ने स्थाई सरकार को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है ।

जहां तक नवयुवकों का प्रश्न है, मेरी जानकारी के अनुसार वे जेल में नहीं हैं । हमारा दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्ण है और हम चाहते हैं कि देश के निर्माण में सर्वोत्तम कार्य करें ।

मैं श्री टोम्बी सिंह से सहमत हूं कि पहाड़ी लोगों को घाटी के लोगों से अलग करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए । दोनों क्षेत्र के लोगों में काफी एकता है जो कि हर्ष की बात है । दोनों ओर के नेता इस बात से सहमत हैं कि पहाड़ी लोगों के लिए कुछ संरक्षण आवश्यक हैं ।

अन्ततः, जहां तक छात्र वृत्तियों का सम्बन्ध है, इस मामले पर वित्त तथा शिक्षा मन्त्रालयों को विचार करना होगा । हम सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ यह मामला उठायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted,

सभा की कार्यवाही

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विधेयक कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक—पर विचार करते है । समय निर्धारित नहीं है ।

मेरे विचार में दो घंटे का समय पर्याप्त होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : महोदय, नहीं, कम से कम चार घंटे चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : सत्र समाप्त होने को है । चलो तीन घंटे ठीक रहेंगे...... (व्यवधान) थोड़ी बहुत घटाबढी हो सकती है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

COAL MINES (NATIONALISATION) BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोयला खानों को इस प्रकार पुनर्गठित और पुनर्निर्मित करने की दृष्टि से, कि कोयले का युक्तिपूर्ण और समन्वित एवं वैज्ञानिक विकास और देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल कोयला स्त्रोतों का उपयोग इस हेतु सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे स्त्रोतों का स्वामित्व और नियंत्रण राज्य में निहित हो जाये और फलतः वे इस प्रकार बंट जाये कि जनता का अधिक से अधिक हित हो, उन कोयला खानों की बाबत स्वामियों के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने और उससे सम्बन्ध या अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह सुविदित है कि हमारे देश में कोयला धन का महत्वपूर्ण साधन है । हमारे देश में कोयले की विपुल सम्पदा है । मैं यहां पर यह आवश्यक नहीं समझता कि विस्तार से यह बताया जाए कि सरकार ने किन कारणों से गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों का प्रबन्ध ग्रहण किया । मैं यहां पर बरेजो समिति 1937 की रिपोर्ट और भारत सरकार के कोयला आयुक्त द्वारा लोकसभा की प्राक्कलन समिति के समक्ष 17 वर्ष पूर्व दिए गए साक्ष्य का उल्लेख करना चाहता हूं और मेरा सदस्यों से अनुरोध है विधेयक पर विचार करते समय इन दोनों को और प्रबन्ध ग्रहण के तीन मास के दौरान कोयला खान प्राधिकारियों के कार्य को ध्यान में रखे राष्ट्रीयकरण के विरोधियों ने तो कोयला-खानों के कार्यकरण का भद्दा चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ।

परन्तु तथ्य इसके विपरित है । इस विधेयक के पारित होने के पश्चात वह प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी जो प्रबन्ध ग्रहण के साथ प्रारम्भ हुई थी और सभी खान मालिको के अधिकार और हित, जिनके नाम अनुसूची में दिए गए है, 1-5-73 से बिना किसी अड़चन के केन्द्रीय सरकार के हाथ में आ जायेंगे । मैं यहां पर एक या दो मुख्य बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा ।

संविधान के उपबन्ध 31(2) के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा । इसमें उनके वर्तमान स्टाक और आस्तियों का समूचा मूल्य शामिल होगा । यह उपबन्ध भी किया गया है कि स्वामियों को दी जाने वाली समूची धनराशि भुगतान आयुक्त के पास जमा कर दी जायेगी जो भुगतान के लिए उत्तरदायी है । इस भुगतान से पूर्व उन सभी दावों पर विचार किया जायेगा जो कि ऋणदाताओं ने मालिकों पर किए हों और उन सभी दावों और देयताओं को पूरा करने के पश्चात ही मालिकों को भुगतान किया जायेगा । जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है सुरक्षित ऋण के बारे में भी कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को प्राप्य धनराशि के बारे में उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

विधेयक पारित होने के पश्चात एक स्थाई संस्था स्थापित की जाएगी। यह संस्था सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोयले का वास्तविक उत्पादन बढ़े।

फिलहाल सरकारी क्षेत्र में हमारे पास तीन संस्थायें हैं—राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, भारत कोकिंग कोल और सिंगरेनी कोलियरीज़। भारत कोकिंग कोल को छोड़कर केवल एक संस्था स्थापित करने का विचार है। हम एक अलग निगम स्थापित करना चाहते हैं जोकि कोयला खान प्राधिकार लिमिटेड कहलायेगी और जिसमें कोयला खान प्राधिकार की एक अलग सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम भी शामिल होगी। इस कोयला प्राधिकार के अन्तर्गत वास्तव में असम की सभी कोयला खानें आ जायेंगी। इसके अतिरिक्त रानीगंज क्षेत्र, बिहार क्षेत्र, तलचर कोयला क्षेत्र, राष्ट्रीय कोयले विकास निगम के अन्तर्गत आ जायेंगे।

इस प्राधिकार का यह उद्देश्य होगा कि देश में उपलब्ध कोयला संसाधनों को सुरक्षित रखने, उनका विकास तथा वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करने के लिए सरकार को एक राष्ट्रीय नीति के बारे में सलाह दे। और एक उद्यम के रूप में कार्य करते हुए यह कोयले के उत्पादन पर नियंत्रण रखे।

हमारा विचार है कि कोयला खान प्राधिकार का मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया जाये। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का मुख्यालय रांची में ही रहेगा। हमने अभी इन डिवीज़नल मुख्यालयों के वास्तविक स्थलों के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

यह उद्देश्य है कि यथासम्भव सीमा तक विकेन्द्रीकरण किया जाये और शक्तियां प्रदान की जायें ताकि ये सारे डिवीज़नल मुख्यालय, जिनमें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम भी शामिल है, एक सर्वोपरि संस्था की सहायक संस्था के रूप में कार्य कर सकें। कोयला खानों के अर्जन के पश्चात वास्तव में कोयले का उत्पादन बढ़ा है।

आदरणीय सदस्य अच्छी प्रकार जानते हैं कि कोयले के सम्बन्ध हमें बहुत बड़ा काम करना है। कोयले का उत्पादन 750 तथा 760 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1978-79 में 1410 से 1420 मीटरी टन करना है। इससे बंगाल-बिहार क्षेत्र में रेल को भी अधिक कार्य करना पड़ेगा और विकास भी द्रुत गति से होगा। सरकार द्वारा कोयला खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिये जाने के पश्चात कोयला उत्पादन की स्थिति में सुधार हुआ है। फरवरी 1972 की तुलना में फरवरी और मार्च 1973 में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अप्रैल 1973 में बिजली की कटौती के कारण कोयले का उत्पादन कुछ घटा है।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि बिजली घरों के सम्बन्ध में कोई गम्भीर संकट उत्पन्न हुआ है। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि सारे देश को पन-बिजली की कमी की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम तापीय बिजली घरों को शीघ्र कोयला पहुंचाने के महत्व को समझते हैं, इस उद्देश्य के लिए खान विभाग में एक स्थायी सम्पर्क समिति का गठन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य मात्र सम्पर्क बनाना ही नहीं है बल्कि देश में विभिन्न बिजली घरों के लिए मासिक कार्यक्रम तैयार करना भी है, इसके परिणामस्वरूप हम बहुत हद तक बिजली घरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि तीन महीने पहले जो सरकार ने कोयले की खानों को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है उसे असफल बनाने के लिए प्रचार किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा कोयला खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिए जाने, से बहुत बड़ा कोयला संकट उत्पन्न हो जायगा।

इसमें सन्देह नहीं है कि हमारे सामने अनेकों कठिनाइयां हैं, विशेषकर घरेलू उपभोक्ताओं की और ईंटों के भट्टों वालों की। हम यह पता लगाने का प्रयास कर रहे है कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। यदि हमने इन संगठनों को और इसके प्रबन्धकों तथा कार्यकर्ताओं को अपना पूरा समर्थन दिया तो हम स्थिति पर काबू पा लेंगे।

अतः यह निवेदन है कि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाये।

श्री रोबिन सेन (आसनसोल) : यदि इस विधेयक में कुछ आधारभूत परिवर्तन नहीं किये गये, तो यह विधेयक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य की पूर्ति करने में असमर्थ होगा। यह विधेयक श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में असफल रहा है तथा इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाकर भूतपूर्व कोयला खान मालिकों के हितों की रक्षा करना है। सरकार ने इस विधेयक में कोयला खानों के मालिकों को उनके काले कारनामों की अच्छी कीमत के रूप में 35.36 करोड़ रुपये मुआवज़ा देने का प्रस्ताव किया है। जिस धारा के अन्तर्गत मुआवज़ा देने की व्यवस्था की जा रही है उसे निकाल दिया जाना चाहिए तथा उसके स्थान पर एक नई धारा की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें यह उपबन्ध हो कि कोयला खानों के भूतपूर्व मालिकों को कोई मुआवज़ा नहीं दिया जायेगा।

यह सही है कि विधेयक की धारा 20 के अन्तर्गत श्रमिक न्यायालय में जा सकते हैं लेकिन इन खानों को चलाने वाले मालिकों ने श्रमिकों को कानूनी तौर से जितना उनका बनता है वह भी नहीं दिया तथा कम से कम 40 खानों को इन खान मालिकों ने बन्द कर दिया जिससे पिछले साल 40 हजार श्रमिक बेरोजगार हो गये। क्या उनके लिए यह सम्भव था कि वे अपनी समस्या के लिए न्यायालय जायें? श्रमिकों को उनकी देय राशि दिलाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये। सरकार इस राशि को मालिकों के मुआवज़े से सीधा काट सकती है अथवा इन मालिकों की निजी सम्पत्ति से भी इस राशि को काटा जा सकता है।

सरकार ने इस विधेयक में यह जिम्मेदारी भी नहीं ली है कि वह उन श्रमिकों को रोजगार दिलायेगी जो कोयला खानों का प्रबन्ध हाथ में लेने से पहले उनमें काम कर रहे थे। यह सभी मानते हैं कि भूतपूर्व खान मालिकों ने रिकार्डों में फेर-बदल किया है और उनमें असामाजिक तत्वों का नाम शामिल कर दिया। उन्होंने इसका प्रयोग एक विशेष आन्दोलन के विरुद्ध किया था। उन्होंने वास्तविक श्रमिकों का नाम उपस्थिति नामावली से हटा दिया। लगभग 5000 श्रमिकों को पिछले वर्ष सशस्त्र गुण्डों ने भूतपूर्व मालिकों से सांठ गांठ करके हटा ही नहीं दिया बल्कि उनका रोजगार भी छीन लिया। इस विधेयक में ऐसे श्रमिकों के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें पुनः काम पर लेकर स्थायी किया जाना चाहिए।

नए अभिरक्षक भूतपूर्व खान मालिकों के अधीन वरिष्ठ अधिकारी थे, कुछ अभिरक्षक कोयला खानों की परिसम्पत्ति में हेरा-फेरी कर रहे हैं। कोयला खानों के कार्यों में अनेक प्रकार की हेरा-फेरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को अधिक शक्ति दे कर निरंकुश पद दिये गए हैं। जिस समय उन्होंने श्रमिकों को उचित अधिकार देने से इन्कार किया उस समय कोयला खान अधिकरण चुप रहा। इस विधेयक में ऐसे अधिकारियों को दण्ड देने के लिए एक धारा होनी चाहिए। यदि सरकार कोयला खानों का कुशल कार्य संचालन चाहती है तो श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। अनेक खानों में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के मनमाने प्रयोग से मजदूर यूनियनों के लिए सामान्य ढंग से कार्य करना असम्भव हो रहा है। खानों के कार्य के सुचारू संचालन के लिए आतंकीकरण को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। कोयला खानों का लोकतंत्रीकरण किया जाये तथा एक सलाहकार समिति बनाई जाये जिसमें केन्द्रीय मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाये, सभी नैमित्तिक तथा ठेके वाले मजदूरों को स्थायी बनाया जाये अन्यथा ठेकेदार खानों में अशान्ति पैदा कर देंगे और उत्पादन के सम्बन्ध में तोड़ फोड़ करेंगे। टाटा के अन्तर्गत आनेवाली कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जा रहा? इनका भी बिना किसी मुआवज़े के राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

श्री के० डी० मालवीय (डुमरियागंज) : इस विधेयक के द्वारा कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। हमारे उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोयले का

उत्पादन लक्ष्य 1020 लाख मीटरी टनों से घटा कर 960 लाख मीटरी टन कर दिया गया था। यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के आर्थिक कार्य सम्बन्धी मंत्रालयों ने इस आधारभूत पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया कि बिजली उत्पादन में कोयला कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहां तक कि धावनशाला सम्बन्धी कार्यक्रम की भी पूर्णतः उपेक्षा की गई है, हमारे देश में कोयले की किस्म सन्तोषप्रद नहीं है।

1978-79 में कोयला उत्पादन का हमारा लक्ष्य 1420 लाख मीटरी टन है जो कि अपर्याप्त है। यह आशा थी कि सरकार इस बात पर पुनः विचार करेगी कि विदेशों से तेल प्राप्त करने में असफल हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए। वास्तव में हमें विदेशों से उतनी मात्रा में तेल प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने में कठिनाई होगी जिसका हम केवल बिजली पैदा करने हेतु प्रयोग करने के हम आदी हो गये हैं।

गुजरात में धुव्रन बिजली घर गैस से चलाया जा रहा है। इसे गैस से नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि जो गैस इसमें जलाई जाती है उसे और अधिक लाभकारी कार्यों में लगाया जा सकता है। यदि धुव्रन तक कोयले का परिवहन कुछ खर्चीला हो भी तो कोई बात नहीं क्योंकि हमारे पास कोयला बहुत है। टाटा तापीय बिजली घर कोयले से चलाया जाता है फिर सरकार को धुव्रन या अन्य स्थानों के लिए कोयला ढ़ोने में क्या कठिनाई है जबकि हमें इन कोयला खानों को चलाने के लिए प्रतिवर्ष बहुमूल्य सामान आयात करना पड़ता है। कोयले के उत्पादन तथा वितरण योजना पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

कुछ ऐसी खानें है जिनके सम्बन्ध में मुआवज़े के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नही। कुछ खानें ऐसी भी हो सकती हैं जिनका कार्य संचालन कुशलता से चल रहा था, सरकार को इस प्रकार की खानों से उत्पादन लक्ष्य में वृद्धि करने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

हमें इस ओर भी ध्यान देना है कि हम किस प्रकार संरक्षण नीति बनाने अधिक कीमती सामान के स्थान पर सस्ते सामान का प्रयोग करने तथा विद्युत उत्पादन सम्बन्धी समस्त योजनाओं को आत्मनिर्भरता की नीति के आधार पर बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस बात पर पुनः विचार करेंगे कि कोयले के वितरण में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ किया जाना है। निस्सन्देह रेल विभाग इस समय इस सम्बन्ध में अधिक प्रयास कर रहा है तथा यह हर्ष का विषय है कि रेल बोर्ड ने अभी हाल ही में खाद्यान्न तथा कोयला ढ़ोने के लिए कुछ सवारी गाड़ियों को बन्द कर दिया।

कोयले के उत्पादन के लिए जिस संगठन के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है उसके और अधिक विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। कोयले के वितरण के लिए रेल, परिवहन आदि साधन हैं। रेलवे स्टेशनों की संख्या अत्यधिक है तथा उनके पास इसके लिए सुविधायें उपलब्ध है।

बिजली अधिक से अधिक मात्रा में कोयले से ही उत्पन्न की जानी चाहिए तथा यह तभी सम्भव है जब हमारे उत्पादन लक्ष्य ऊंचे हों।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस विधेयक का सामान्य सिद्धांत ऐसा है जिसे सदन के सभी वर्गों को पूर्ण समर्थन देना चाहिए। सभी विकासशील देशों के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिये कोयला संसाधनों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। राष्ट्रीयकरण में खानों के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। श्रमिकों ने मजदूर यूनियनों को अपने आर्थिक विकास के लिए ही नहीं चलाया है अपितु वे सदैव सरकार पर उनके राष्ट्रीयकरण के लिए दबाव डालते रहे हैं। यह स्वीकार किया गया है कि अतीत में खानों के मालिक खानों को नष्ट करते रहे हैं तथा सुगमता से कमाये जाने वाले लाभों के पीछे रहे हैं, इसके लिए उन्होंने किसी अन्य बात का ध्यान नहीं रखा है और इस तरह से उन्होंने खान सम्पदा का काफी विनाश किया है, फिर

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

उन्हें 30.35 करोड़ रुपये की राशि क्यों दी जा रही है। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण तभी सफल हो सकता है जब वितरण और मूल्य की समूची व्यवस्था को भी हाथ में लिया जाये। सरकार को उत्पादन, वितरण और मूल्य सम्बन्धी एक व्यापक योजना बनानी चाहिए।

अधिकांश तापीय केन्द्र या तो बन्द हो गये हैं या पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें जो कोयला दिया जा रहा है उसमें राख की मात्रा अधिक होती है और उससे बायलरों को क्षति पहुंचती है। अब चूंकि सरकार ने कोयले का समूचा उत्पादन अपने हाथ में ले लिया है इसलिए यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि इन विद्युत केन्द्रों को अच्छे किस्म के कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जाय ताकि आंशिक रूप से विद्युत संकट समाप्त किया जा सके।

कोयला खान मालिक कोयले की सप्लाई रोक कर रेल विभाग को अधिक मूल्य देने के लिए बाध्य करके उनसे अनुचित लाभ उठा रहे हैं। रेल मंत्रालय तथा कोयला खान प्राधिकरण के बीच समुचित समन्वय होना चाहिए जिससे मूल्य स्थिर रह सकें तथा माल भाड़े और किराये में वृद्धि न हो।

यह अवसर है जबकि पश्चिम बंगाल के कोयला खान वाले क्षेत्रों में गलत बिछाई गई हल्दिया-बरौनी तेल पाइप लाइन के सम्बन्ध में कुछ किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि इस पाइप लाइन को दुबारा बिछाया जाये जिससे कोयला खानों और स्वयं पाइप लाइन को कोई खतरा न हो।

पुराने प्रबन्ध के कुछ उच्चाधिकारियों को जो श्रमिक विरोधी कार्यों तथा श्रमिकों को डराने-धमकाने, उन्हें मकानों से निकालने तथा श्रमिक संघों को तोड़ने के लिये निजी गुडों को रखने के लिए बदनाम थे, उन्हें सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित मजूरी समझौता वार्ता क्या है तथा क्या राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के प्रबन्ध में श्रमिकों के सहयोग के बारे में कोई योजना बनाई गई है।

उपस्थिति नामावली के श्रमिकों को, जिन्हें बलपूर्वक निकाला गया है वापस लिया जाना चाहिए तथा नियोक्ताओं द्वारा नियुक्त जाली श्रमिकों को निकाल दिया जाना चाहिए।

मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में एक विवरण दिया जाये जिसमें अनिश्चितता की स्थिति वाली कई छोटी खानों के बारे में बताया गया हो। 40 या 50 खानों को इस आधार पर छोड़ दिया गया है कि वे बहुत छोटी हैं तथा सुदूर क्षेत्रों में स्थित हैं। यह भी बताया जाय कि जिन खानों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है क्या उन्हें चालू रखने के लिए सरकार के पास कोई वैकल्पिक योजना है।

टाटा की खानों का इस कारण से राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है कि वे बन्धित खाने हैं और केवल 'टिस्को' को कोयला सप्लाई करती हैं। यह कैसी अजीब बात है कि आसनसोल में सिंघानिया की बन्धित खानों, जो जामनगर स्थित अपने संयंत्र को कोयला सप्लाई करती हैं, को सरकारी अधिकार में लिया गया है। इस स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : This bill which is an important step in the direction of achieving the goal of establishing a socialist pattern of society in the country is welcomed. The workers of the Coal mines are happy. The Government should fix the target of production after careful consideration. Starting new Collieries to realise certain targets and then closing them down should not be repeated. National wealth should not go waste. As regards distribution, we will have to consider it afresh. We should take proper and concrete steps to ensure proper distribution.

It has been stated that the Head office for the nationalised collieries will be established at Calcutta and its branches will be in different states.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए। SHRI K. N. TEWARI *in the Chair*]

while doing so it should be ensured that local people get suitable jobs. The wages of the workers have not been increased after 1967. A committee should be appointed immediately to increase the wages of the workers. They should get the need-based minimum wages. Necessary relief be provided to the workers within the specified time-limit.

It is difficult to understand as to why compensation is being paid to the mine-owners. They have been looting the Society. If compensation at all is required to be paid to them only that much compensation should be paid which will enable them to pay the Provident Fund dues and the wages and secured loans of the banks. The question of Compensation should be reconsidered and the amount reduced.

श्री मोहनराज कालिंगरायार (पोलाची) : सरकार ने सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया है तथा अब मंत्रालय और मंत्री के समक्ष कीमतों को बनाये रखने, समुचित वितरण सुनिश्चित करने तथा कोयला खानों से यथा संभव अधिक से अधिक कोयला निकालने की मुख्य समस्यायें हैं। इस विधेयक में भूतपूर्व खान मालिकों को मआवजे के रूप में 30 करोड़ रुपये का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है, मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बताया है कि इनमें से कुछ मिल-मालिकों का नैतिक स्तर अच्छा नहीं है। यदि ऐसा है तो सरकार 30 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान क्यों कर रही है। अब तक बहुत से मिल-मालिकों ने धन बनाया है। उन्होंने कोयला खानों को पूर्णत: चूस लिया है और कुछ कोयला खानें बड़ी बुरे हालत में हैं। यदि सरकार इन खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहती है तो उसे उन पर खर्च करना पड़ेगा और फिर भी आरंभ में कुछ घाटा होगा। मिल मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा है कि एन्नोर विद्युत संयंत्र और बेसिन ब्रिज विद्युत संयंत्र के पास क्रमशः 25 दिन और 7 दिन का कोयला पड़ा है। इस अवधि के बाद इन संयंत्रों की कोयले की मांग को कैसे पूरा किया जायेगा।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : The condition of collieries was worsening day by day, production was diminishing and the condition of workers was pitiable. In such circumstances it was the country-wide demand that the Government should nationalise the non-coking coal. The Government has delayed the introduction of bill. It should have been presented long ago, but better late than never. The coal is not easily available and its prices has soared high. There is no shortage of coal at the selling centres but the corrupt practices have created artificial scarcity. The Govt. should deal with it suitably. The coal sent for Delhi is black-marketed. Licences in fictitions names have been issued.

The Custodian General has announced, after the take-over that the casual workers will be made permanent. These workers were deprived from their due benefits. Casual workers were removed from the mines and some outsiders were appointed in their places. The Custodians should do their work efficiently but should not victimise anybody. The Govt. has to pay compensation to the mine-owners which should be settled soon. It will help the mine owners in rehabilitating themselves and they will not attempt to create any disorder with the help of undesirable elements.

There are number of mines in Bihar. Keeping in view the poverty prevailing in Bihar, the local people should be given preference in the matter of employment in these mines.

I do not agree with the Minister in establishing the Headquarters of Coal Mines Authority at Calcutta. The Head office should be at places where there are large number of mines.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : कोयला खानों के मालिकों को यदि मुआवजे के रुप में कोई राशि न दी जाय तो कोई गलत कार्य नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इन वर्षों में काफी धन कमाया है। एक सामान्य शिकायत यह मिली है कि छोटे निवेशक, जिन्होने अपने जीवन की कमाई इन खानों में शेयर के रुप में लगाई है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

इस विधेयक के अध्याय - तीन में कोयला खान मालिकों को मुआवजे की राशि देने की व्यवस्था की गई है तथा मुआवज की राशि विधयक के साथ संलग्न अनुसूची में दिखाई गई है, लेकिन विधेयक में इस राशि के निर्धारण का कोई आधार नहीं बताया गया है। इससे पता चलता है कि राशि निश्चित करने में भेदभाव किया गया है, सरकार विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनियों को बड़ी राशि दे रही है। राशि निर्धारण का सिद्धांत स्पष्ट किया जाना चाहिए।

लोगों में यह धारणा है कि सरकार राष्ट्रीयकरण केवल राष्ट्रीयकरण के नाम पर कर रही है जिससे कि उसे सस्ती राजनीतिक प्रसिद्धि प्राप्त हो सके, इससे लोगों का राष्ट्रीयकरण में विश्वास समाप्त हो गया है, लोगों को आशा थी कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात उन्हे अच्छी चीजें पर्याप्त माता में सस्ती कीमतों पर प्राप्त होंगी किन्तु मामला इसके विपरीत है। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात कोयले का उत्पादन घट गया है, मूल्य बढ़ गये हैं तथा कोयले की कमी हो गई है। सरकार अपनी अकुशलता तथा अनुचित नीतियों के कारण राष्ट्रीयकरण के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है।

एच० एम० एस० के सचिव ने कोयला खानों में व्याप्त असन्तोष के लिए केन्द्र को दोषी ठहराया है। सरकार श्रमिकों के बारे में बहुत कुछ कहती है लेकिन अपने ही राष्ट्रीयकृत उपक्रमों में वह श्रमिक-विरोधी नीति अपना रही है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सेवा निवृत्त हो चुके हैं अथवा जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है क्या उन्हे उनके सभी न्यायोचित देय मिलेंगे अथवा नहीं। मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे श्रम नीति के साथ-साथ उत्पादन दर और वस्तुओं की सुलभता की ओर भी ध्यान दें।

Shri Ram Singh Verma (Indore) : I want to congratulate the Hon. Minister for bringing forward the Nationalisation Bill so soon after taking over the management of the Coal Mines. Nationalisation of Coal mines is an important step taken by the Government. I think if the legislation for nationalisation would have been framed alongwith the legislation for take-over the Government would have not paid the amount of compensation already paid. It is not clear why the compensation is again being paid. The Government has not indicated the criteria for determining compensation in the Bill.

The wages of the coal mines workers are much lower than the wages of the workers in other industries. Since the conditions of work in the coal mines is very bad, more wages should be paid to the workers of this industry.

The working conditions in the coal mines are very bad. The life of the Coal mine worker is full of hazards. I think their case should be considered sympathetically and their pay should not be less than the pay of heavy industries and steel plants. If the working condition is improved the production of coal will be more. Steps should be taken to improve the working conditions of coal mine workers.

The life of a coal mine worker is full of hazards. Steps should be taken to improve the working conditions of the coal mine workers.

It is good that the provident fund contributions and wages of the workers will be charged on the compensation to be paid to them. There is one difficulty. The coal mine workers are not given pass books showing their provident fund savings. Whereas in the case of other industries pass books are provided. The provident fund deductions of the workers and employer's contribution plus interest thereon should be ascertained with the help of the Provident Fund Commissioner.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : Nationalisation is not a panacea for all ills. As a matter of fact our experience has been that nationalisation led to scarcity and adulteration and consequently hardship to the people. There is discrimination in the matter of payment of compensation. Those who are influnetial are paid adequately where as the compensation paid to small contractors is much less.

Shri Ram Narayan Sharma (Dhanbad) : I welcome the Bill nationalising coal mines. It is wrong to say that interests of the worker will be jeopardised by nationalisation. As a matter of fact this Bill has been brought forward to protect the interests of the workers and to protect the coal mines.

The provident fund arrears amounted to more than Rs. 12 crores. It has been provided in the Bill that the workers would file their claims for provident fund dues with the Compensation Commissioner, but the difficulty is that Provident Fund Organisation has not supplied them their provident accounts. The Government should authorise the Provident Fund Commissioner to claim the provident fund dues on behalf of the workers and the Compensation Commissioner should entertain those claims. A suitable provision should be made in the Bill in this regard.

The Railway authorities say that they provide adequate number of wagons for transport of coal but there is not adequate production of Coal. The shortage of coal has affected generation of power and the shortage of power in turn has affected industrial growth. The Ministries of Steel and Mines, Railway and Irrigation and Power should find a suitable solution to this whole problem.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : यह बताया गया है कि खान मालिकों को क्षतिपूर्ति की अधिक राशि दी जा रही है किन्तु इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया है कि किस आधार पर क्षतिपूर्ति देने का निर्णय किया गया। मेरा विचार है कि क्षतिपूर्ति की यह राशि अपर्याप्त है। उदाहरण के तौर पर कोयले के भण्डार, स्टॉक आदि का मूल्य 15 करोड़ रुपये आंका गया है जो कि 711 खानों की संख्या को देखते हुए बहुत कम है।

रेल में पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कोयला गंतव्य स्थानों तक नहीं पहुंचता है। कोयले की कमी के बारे में बिजली घरों से भी शिकायतें आ रही हैं।

यह बताया गया है कि दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि अचल पूंजी तथा प्रदत्त पूंजी से अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार विदेशी कम्पनियों का पक्ष ले रही है। इस बात के ठोस कारण बताये जाने चाहिए कि इन कम्पनियों को क्षतिपूर्ति क्यों दी जाती है। वे कम्पनियां ऐसी होनी चाहिए जो सही ढंग से चल रही हों। मुझे इस बात पर अधिक प्रसन्नता होगी यदि मंत्री महोदय यह बात बताने में निष्पक्षता से काम लेंगे कि जिन 711 खानों को सरकारी अधिकार में लिया गया है उनमें से अधिकतर खानें सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada) : I support The Coal mine (Nationalisation) Bill. The private mine-owners were not operating the coal mines on a scientific basis and production was not enough to meet the demand. Under the private ownership the mines were getting ruined. It is necessary that coal is not only made available without difficulty but its price is also regulated.

It is necessary to find out why and how these difficulties arise. The main reason in this regard. perhaps, is that the usual laxities and slackness that we find in Government departments has affected the coal mines also.

The Government had decided that the existing staff of the mine owners would be absorbed. The mine owners took advantage of this and instead of allowing their staff to continue, get their agents into the mines, with the result indirectly the mines are still in the control of the private mine owners. This needs special attention of the Government.

[Shri Sukhdeo Prasad Verma]

The Government should consider seriously, why there is acute shortage of coal and how the present situation can be tackled. We have seen reports in the newspapers that thermal power stations are not getting the required supplies of coal. This is a serious matter.

The Ministry of Steel and Mines and the Ministry of Railway should jointly think over the current crisis in the coal industry and find out a suitabde solution. They must ensure that there is adequate supply of coal throughout the country at reasonable prices. If this is not done, a feeling will grow in the minds of the people that nationalisation is not going to make any difference or solve any problem.

Shri Dhanshah Pradhan (Shahdol) : I welcome The Bill for nationalising coal mines. But the benefits of nationalisation should go to workers also. We all know how the coal mine workers are exploited and how poorly they are paid, in spite of the fact that they work under most hazardous conditions.

The headquarters of the Coal Mines authority shoud be set up at Shahdol because in Shahdol district there are as many as 14 mines and a power station.

The rates of dearness allowance recommended by the Wage Board should be reconsidered.

Weighing machines, wherever they are installed in coal mines should be removed.

In NCDC mines, wages paid to the workers are very low. There are still temporary and casual workers. No facilites are provided to the workers. Even drinking water is not available to them. These things should be looked into.

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में सभा को विश्वास में नहीं लिया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन्हें अपने वक्तव्य में कही गई कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहिए जिससे राष्ट्रीयकरण, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और सरकार द्वारा की गई गलतियों के कारण जो अविश्वास पैदा हुआ है उसे दूर किया जा सके।

कोयले के राष्ट्रीयकरण किये जाने के पश्चात् कोयला बाजार से गायब हो गया है। यह दावा किया गया था कि देश और जनता की भलाई के लिए कोयला सरकारी अधिकार में लिया जा रहा है। राष्ट्रीयकरण का लाभ गरीब वर्गों को नहीं पहुंचा है और प्रत्येक गृहस्थी व्यक्ति की यही शिकायत है कि उन्हें दुगनी कीमतों पर भी कोयला नहीं मिल रहा है।

उच्चत्तम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसलिए इस संबंध में विचार किया जाना चाहिए। जितना हमें मुआवजा देना है उसके आधार का निर्धारण किया जाना चाहिए और अधिनियम में हो इसके लिए कोई न कोई मानदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके आधार पर मुआवजा दिया जाना है। मुआवजे की अदायगी से कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, श्रमिकों को भुगतान करना पडेगा तथा कोयला खानों के छोटे सप्लाई कर्ताओं को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। वित्तीय बचत वहताएं राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूरी की जाती हैं तथा ऋण अग्रिम राशियां भी उन्हीं के द्वारा दी जाती हैं। मुआवजे की इतनी कम रकम दिये जाने का विचार किया जा रहा है कि उससे वित्तीय आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। वित्तीय हानियों को बैंक वहन करेंगे और उसके परिणाम स्वरूप बैंकों के गरीब जमाकर्त्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा।

मैं इस अनुरोध के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि यदि सरकार को कोई कार्यवाही करनी है तो वह इतनी ईमानदारी से की जानी चाहिए कि जनता को इस बातका अहसास हो सके कि कार्यवाही ईमानदारी से की गई है और वह देश के हित में है।

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj) : In taking over the coal mines, Government has taken a right step because it cannot be left to a few persons to deal arbitrarily in an essential commodity like coal. But the difficulty is that that the bureaucracy which has to implement

socialistic programmes is corrupt and inefficient. Public agencies should be handed over the job of implementing public utility programmes. Coal mine owners who have exploited the labour and have reapted large profites should not be given any compensation. The production and distribution of coal should be entrusted to agencies consisting of the representatives of labourers and the public.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडोह) : सर्व प्रथम मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कोयला खानों द्वारा सभी स्थानीय भण्डारों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ताप बिजली घरो की स्थापना हेतु एक त्वरित कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। अन्यथा, बिजली की कमी के कारण यंत्रीकरण की प्रगति सीमित हो जायेगी और अन्ततः कोयले के उत्पादन तथा साथ ही कोयला खनन की कठिनाइयों में वृद्धी हो जायेगी। हमारे पास मैथानों मीटर और स्वचालित रिकार्डिंग मॉनीटर होने चाहिएं। इन उपकरणों का आयात किया जाना चाहिए जिससे कोयला खानों में काम करने वाले लोगों को कठिनाइयों से बचाया जा सके।

डिज़ाइन, अनुसंधान और विकास 'विंग' में काफी विस्तार किया जाना चाहिए। इस विंग में केवल कार्यक्रम की रूप रेखा ही तैयार नहीं की जायेगी अपितु भारतीय खनन परिस्थितियों के अनुकूल उत्खनको, कनवेयर बैल्ट और कोयला कटर जैसे उपकरणों का भी डिजाइन तैयार किया जायेगा। सभी कोयला खानों को सूक्ष्मतरंग सम्पर्क के साथ मिलाया जाना चाहिए।

मैं उपकरणों और उनके फालतू पुर्जों के मानकीकरण का भी सुझाव देता हूं। इससे प्रशिक्षण, फालतू पूर्जों की व्यवस्था करने तथा रख-रखाव का स्तर बनाये रखने में सुविधा मिलेगी। मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि हमारे पास कुछ प्रायोगिक खानें होनी चाहिएं ताकि हम नये तरीकों एवं मशीनों का परीक्षण कर सकें।

कोयला खान कल्याण निधि के अन्तर्गत हमने श्रमिकों के लिए 50,000 मकान बनाने की योजना तैयार की थी लेकिन इस योजना को ताक पर रख दिया गया है। इस योजना को लागू किया जाना चाहिए तथा साथ ही श्रमिकों को इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वे अपने मकान स्वयं बना सके। चूंकि हम कोयला और इस्पात की अधिक ढुलाई करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए रेल, इस्पात और खान तथा सिंचाई और विद्युत मंत्रालयों के बीच अधिकतम समन्वय होना चाहिए जिसका कि इस समय अभाव है।

समूचे क्षेत्र में सूक्ष्म तरंग और बेतार संचार प्रणाली का जाल बिछाया जाना चाहिए जैसा कि निवेली लिग्नाइट खानों में किया गया है। ऐसा करना हमारे खानों के लिए आवश्यक है। उत्पादन, तोल, वैगनों का आवंटन बिजली की स्थिति तथा श्रमिक संबंधों के बारे में सी० एम० ए० के मुख्यालय को प्रतिदिन सूचना भेजी जानी चाहिए और कुछ उच्च अधिकारियों को वहां अध्ययन करने के लिए भेजा जाना चाहिए।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : There can be no two opinions about the propriety of the measure for nationalisation of coal. But the machinery available with Government to implement that measure is unable to face the challange posed by the vested interest Steps sould be taken to carry coal to such places where there is acute scarcity. The distribution system should be so devised that States should get coal in proportion to their population. Special allocation should be made for neglected areas, flood affected areas such as Eastern U. P. People belonging to Bihar and U. P. should be given due representation in the matter of appointments.

The headquarters of Coal mines Authority should not be located at Calcutta, but it should rather be located at Jharia or Dhanbad in Bihar.

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम) : कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान वर्तमान कोयला वितरण की गम्भीर स्थिति की ओर आकर्षित किया गया है, मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता हूं कि स्थिति खराब है, निस्सन्देह हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कठिनाइयों तो गलत वक्तव्य जारी करके उत्पन्न की जा रही हैं। यह कहना उचित नहीं है कि बिजली घरों को

[श्री एस० मोहन कुमार मंगलम]

अच्छे किस्म का कोयला सप्लाई नहीं किया जा रहा है कोयले की किस्म तथा उसकी सप्लाई में काफी सुधार हुआ है। कोयले की किस्म सुधारने के लिए सी०एम०ए० द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों ने पुछा है कि क्षतिपूर्ति किस आधार पर दी जा रही है। कुछ आंकड़े दिये गये हैं तथा ऐसी चार कम्पनियों के नामों का उल्लेख किया गया है जिनमें क्षतिपूर्ति की राशि का प्रदत्त पूंजी से कोई संबंध नहीं है, हमने क्षतिपूर्ति देने का निर्णय उसी आधार पर किया है जिस आधार पर कोककारी कोयला खानों के अधिग्रहण के मामले में किया गया था, हमनें परिसम्पत्तियों के मूल्य तथा भण्डारों के मूल्य का वास्तविक मूल्यांकन किया है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक सूची तैयार की है जिसका ईमानदारी से आकलन किया गया है और तीन महीने के भीतर आंकड़े तैयार करने के उद्देश्य से हमारे अधिकारियों ने कठिन परिश्रम किया है।

माननीय सदस्य श्री एच० एम० पटेल ने निवेदन किया है कि यह मामला प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिए, मैं इस भावना की सराहना करता हूं किन्तु कठिनाई यह है कि इस समय हम जल्दी में है क्योंकि यदि हम समस्त कोयला खानों के कार्य संचालन के लिए एक समान संगठनात्मक ढांचा न बना पाये तो फिर हम एक समान वितरण प्रणाली भी नहीं बना पायेंगे, यदि हम इसे प्रवर समिति को सौंपते हैं तो इसमें कुछ समय लग जायगा।

कानून और संविधान के अन्तर्गत हम मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं क्योंकि अभी भी हम मिश्रित अर्थ व्यवस्था में रह रहे हैं। मुआवजे की अधिकांश राशि अन्ततः श्रमिकों को देय राशि अर्थात् भविष्य निधि मजदूरी, रायल्टी, बिक्री कर आदि में चली जायेगी।

जिन लोगों ने अपनी खानों का संचालन सुचारु ढंग से किया है, जिन्होंने मजूरी बोर्ड के पंचाट के अनुसार भविष्य निधि और रायल्टी का भुगतान किया है, उन्हें अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। किन्तु इन लोगों की संख्या बहुत कम है। बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए हमने श्रमिकों के हितों की पूर्णतया रक्षा की है और वह भी कोककारी कोयला विधेयक की अपेक्षा अधिक है। इस समय हमने प्रत्याभूत ऋण दाताओं से उन्हें अधिक प्राथमिकता दी है।

कोयला खान प्राधिकरण के मुख्यालय के रूप में कलकत्ता को इसलिए नहीं चुना गया है कि वहां से मेरा किसी प्रकार का संबंध है अपितु ऐसा कुछ वैध कारणों से किया गया है। यह इस आधार पर उचित है क्योंकि बंगाल में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यद्यपि कोककारी कोयले का उत्पादन करने वाले अधिकांश संगठनों के मुख्यालय कलकत्ता में स्थित थे फिर भी हमने कोककारी कोयला संगठन का मुख्यालय बिहार में स्थापित किया, हमने ये बातें प्रान्तीय अथवा संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखी हैं। ये बातें देश के हित को ध्यान में रखकर की गई हैं। हममें कलकत्ता को केवल इसलिए नहीं चुना कि बंगाल में 188 लाख मीटरी टन कोयले का उत्पादन हो रहा है अपितु इसलिए चुना है कि कोयला क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से कलकत्ता केन्द्र-स्थल है और परिवहन की दृष्टि के सबसे अधिक गम्य स्थान है, इसके अतिरिक्त कई गैर-सरकारी कोयला खानों के मुख्यालय कलकत्ता में स्थित हैं, हम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के मुख्यालय का स्थान नहीं बदल रहेहैं। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा केन्द्रीय डिजाइन संस्थान संभवतः रांची में ही रहेंगे, इस प्रकार बिहार का कोई अहित नहीं होगा।

हमारे लिए एक कठिनाई इसलिए पैदा हो रही है कि लोगों को इसबात के लिए उत्तजित किया जा रहा है कि हम बिहार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं अथवा हम बिहार की उपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है।

यह सही है कि कोयला खान श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है वह इस्पात श्रमिकों या रेल श्रमिकों की मजदूरी से कम है। हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि कोलया श्रम-प्रधान उद्योग है। कोयला उठाने की लागत का लगभग 60 प्रतिशत श्रमिकों को भुगतान के रूप में दिया जाता है, यदि हम मजदूरी बढ़ाते हैं तो निश्चय ही कोयले के मूल्य में वृद्धि करनी पडेगी क्योंकि एक के बिना दूसरा कार्य करना संभव नहीं है।

भविष्य निधि योजना का प्रश्न उठाया गया है, भविष्य निधि के दावे श्रमिकों की ओर से, भविष्य निधि आयुक्त द्वारा स्वयं पूरे किए जायेंग, श्रमिकों की ओर से कोयला खान भविष्य निधि की राशि आयुक्त द्वारा वसूल की जायगी और श्रमिकों को यह कार्य स्वयं नहीं करना पड़ेगा। जहां तक दावे करने का संबंध है, मैं सुझाव दूंगा कि संघों को गम्भीरतापूर्वक यह कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए और इस संबंध में वे कोयला खान प्राधिकरण से जो कुछ सहायता चाहते है निश्चय ही हम उन्हें देंग, किन्तु कोयला खान प्राधिकरण के लिए इस बात का पता लगाने का दायित्व स्वयं लेना संभव नहीं है कि श्रमिकों का असली दावा कितना है ।

जहां तक अधिकारियों का संबंध है, हमने गैर-सरकारी क्षेत्र के भूतपूर्व अधिकारियों की उनके कौशल अनुभव और उनकी निष्ठा के मूल्यांकन के आधार पर श्रणी बनाई है, किन्तु हमने यह भी निर्णय किया है कि हम उन्हें उन्हीं पदों पर नियुक्त नहीं करेंग जिन पर वे पहले कार्य कर रहे थे। हम उन्हें किन्हीं अन्य पदों पर नियुक्त करेंगे ताकि यदि उनमें कोई बईमान हैं तो उनके लिए गलत गतिविधियां करना कठिन हो जाये, सरकार यह प्रयास करेगी कि जो श्रमिक अस्थायी हैं उन्हें स्थायी किया जाये तथा जो सेवा।नवृत्त हो चुके हैं उन्हें परिदान दिया जाये।

यह सच है कि कुछ हो समय पहले कोयला खानों में प्रायः दुघटनाएं होती रहं। हैं। अब हमने, विशेषकर जीतपुर कोयला खान को दुर्घटना के बाद, लोगों को ऊपर खीचने के लिए विशेष उपाय किये हैं, हम यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास करेंगे कि हम अपने उत्तरदायित्व को समुचित रूप से निभायें और दुर्घटनाएं कम से कम हों ।

हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन के संबंध में प्रश्न उठाया गया है। हमारी समझ के अनुसार पाइपलाइन से कोयला खानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के साथ परामर्श करके एक समुचित सूत्र तैयार किया जा रहा है जिससे कोयला अधिकतम सुरक्षा के साथ निकाला जा सके और तेल की पम्पिंग में कोई गड़बड़ी न हो। हम पाइप लाइन को बदलने के प्रश्न पर विचार नहीं करना चाहते क्योंकि इससे अत्यधिक व्यय होगा ।

मेरा विचार है कि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। फिर भी यदि कोई प्रश्न रह गये हों तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन पर विचार किया जायगा और उनके संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोयला खानों को इस प्रकार पुनर्गठित और पुनर्निर्मित करने की दृष्टि से, कि कोयले का युक्तिपूर्ण और समन्वित एवं वैज्ञानिक विकास और देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल कोयला स्त्रोतों का उपयोग इस हेतु सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे स्त्रोतों का स्वामित्व और नियंत्रण राज्य में निहित हो जाये और फलतः वे इस प्रकार बंट जायें कि जनता का अधिक से अधिक हित हो, उन कोयला खानों की बाबत स्वामियों के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

सभापति महोदय : खण्ड 2 से 35 तक के संबंध में कोई संशोधन नहीं है, मैं इन खण्डों को सभा के सामने रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 35 तक विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खण्ड 2 से 35 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।
Clauses 2 to 35 were added to the Bill.

अनुसूची

सभापति महोदय : अनुसूची के लिए कुछ संशोधन है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ 27, कालम 4 की प्रविष्टियों, क्रमांक संख्या 347 (डोमा) के स्थान पर "(Ownership under dispute)" (विवादास्पद स्वामित्व) प्रतिस्थापित किया जाये।—(4)

पृष्ठ 27, कालम 4 की प्रविष्टियों, क्रमांक 355 (कालीछप्पर) के स्थान पर ("Ownership under dispute)" (विवादास्पद स्वामित्व) प्रतिस्थापित किया जाये।—(5)

पृष्ठ 39, कालम 4 की प्रविष्टियों क्रमांक संख्या 678 के सामने से "Vested in Government" (सरकार में निहित) निकाल दीजिए। —(6)

पृष्ठ 25, पंक्ति 40, कालम 4 में, क्रमांक संख्या 300 के सामने
"(Under Dispute)" (विवादास्पद) के स्थान पर" (Ownership under dispute)" विवादास्पद स्वामित्व) प्रतिस्थापित किया जाये।—(1)

पृष्ठ 25, पंक्ति 49, कालम 4, क्रमांक संख्या 305 के सामने,—
"(Under Dispute)" (विवादास्पद) के स्थान पर "(Ownership under dispute)" (विवादास्पद स्वामित्व) प्रतिस्थापित किया जाये।—(2)

पृष्ठ 26, कालम 4 की प्रविष्टियां, क्रमांक संख्या 318 (रोटा) के स्थान पर "(Ownership under dispute)" (विवादास्पद स्वामित्व) प्रतिस्थापित किया जाये।—(3)

ये छोटे छोटे संशोधन है और यदि इन्हें स्वीकार नहीं किया गया तो भ्रम पैदा होगा।

सभापति महोदय : में अनुसूची के सभी संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं। **प्रश्न** यह है कि :

पृष्ठ 25, पंक्ति 40, कालम 4 में, क्रमांक संख्या 300 के सामने,—
"(Under Dispute)" (विवादस्पद) के स्थान पर "(Ownership under dispute)" (विवादास्पद स्वामित्व) प्रतिस्थापित किया जाये।—(1)

पृष्ठ 25, पंक्ति 49, कालम 4, क्रमांक संख्या 305 के सामने,—
"(Under Dispute)" (विवादास्पद) के स्थान पर "(Ownership under dispute)" (विवादास्पद स्वामित्व) प्रतिस्थापित किया जाये।—(2)

पृष्ठ 26, कालम 4 की प्रविष्टियां, क्रमांक संख्या 318 (रोटा) के स्थान पर "(Ownership under dispute)" (विवादास्पद स्वामित्व) प्रतिस्थापित किया जाये। —(3)

पृष्ठ 27, कालम 4 की प्रविष्टियों, क्रमांक संख्या 347 (डोमा) के स्थान पर "(Ownership under dispute)" (विवादास्पद स्वामित्व) प्रतिस्थापित किया जाये।—(4)

पृष्ठ 27, कालम 4 की प्रविष्टियों, क्रमांक 355 (कालीछप्पर) के स्थान पर "(Ownership under Dispute)" (विवादास्पद स्वामित्व) प्रतिस्थापित किया जाये।—(5)

पृष्ठ 39, कालम 4 की प्रविष्टियों, क्रमांक संख्या 678 के सामने से "(Vested in Government)" (सरकार में निहित) निकाल दीजिए।—(6)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

The Schedule as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिए गए।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat) : I know that in Haryana, Delhi and U. P. brick kilns are using fire wood in place of coal because they are not getting coal. I would like to know when the Government is going to set right the distribution system.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुगल सराय से बाहर के स्थानों को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल रहा है चाहे वह स्थान दिल्ली हो अथवा पंजाब या हरियाण या उत्तर प्रदेश। क्या यह सच है कि यह स्थिति मालडिब्बों की अनुपलब्धता के कारण है तथा इस्पात और खान मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के बीच समुचित समन्वय नहीं है? समस्त उत्तरी क्षेत्र में कोयले की भारी कमी है।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं मंत्री महोदय से यह बात स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं कि विभिन्न कम्पनियों के लिए राशि निर्धारित करने के संबंध में सरकार किस प्रकार निष्कर्ष पर पहुंचती है। मैंने विशेष रूप से इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनियों को देशी कम्पनियों से अधिक राशि दी जा रही है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : कोयले की अनुपलब्धता के कारण गुजरात में सेवालिया स्थित एसोसियटेड फैक्टरी बंद हो गई है, इस फक्टरी को कोयला कब सप्लाई किया जायेगा?

श्री मोहनराज कालिंगारायर (पोलाची) : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि रेल मंत्रालय के सहयोग से तमिलनाडु को नियमित रूप से कोयला सप्लाई किया जाये। कोयले के अभाव के कारण उद्योग बंद होने की स्थिति में आ गये हैं। यही नहीं, तमिलनाडु में 75 प्रतिशत बिजली की कटौती हुई है क्योंकि वहां कोयला उपलब्ध नहीं है।

Shri B. R. Shukla (Bahraich) : I support the Bill. There is acute shortage of coal all over the country causing almost a crisis. The distribution is defective. In Kanpur, black-marketing is going on in coal trade and industries are not getting the required supplies of coal.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान कोयले की कमी की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका प्रभाव बिजली, रेल और औद्योगिक उत्पादन तथा घरेलू खपत पर पड़ रहा है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसने किन्हीं विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए किसी विशेष अनुभाग की स्थापना की है। आरम्भिक अधिग्रहण स्वयं को एक महत्वपूर्ण समस्या है। दूसरे यह कि हिन्द मजदूर सभा ने शिकायत की है कि इस अधिग्रहण से कोयलाखानों के 50,000 मजदूर बेकार हो जायेंगे। मंत्री महोदय बतायें कि इन मजदूरों की सेवाओं का किस प्रकार उपयोग करेंगे।

अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मजदूरों को भी उद्योग में सहभागी बनाया जाये जिससे उनमें स्वामित्व की भावना आए और उन्हें ऐसा न लगे कि गैर-सरकारी स्वामित्व के स्थान पर अब एक अन्य स्वामित्व ने, अर्थात् राज्य स्वामित्व ने इस उद्योग को अधिगृहीत कर लिया है।

इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या छोटी कोयला खानों के स्वामियों जिनकी उपजिविका पूर्णतया इन्हीं पर निर्भर हैं, के बारे में भी कुछ सोचा है।

अंतमें, मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत खानों के प्रशासन में सभी मजदूर संघों को समान प्रतिनीधित्व दिया जाय।

Dr. Kailash (Bombay South) : I would like to know that when Singhania Key Captive Mines have been nationalised, why then Captive Mines of Tata have not been nationalised?

Distribution system has been upset in such a way that coal is not reaching the people, although both coal and railway wagons for transporation are available. I woorld like to know whether Government has appointed same agents for coal distribution who had been working in the past and whether they are the persons who are responsible for this disorder.

श्री मोहन कुमारमंगलम : मुख्य रूप से सभी वक्ताओं ने वितरण प्रणाली और उसकी कमियों के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। इस विषय पर मैंने पहले ही वाद-विवाद के समय अपने विचार व्यक्त किये हैं।

जहां तक विशेष अनुभाग की स्थापना का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि खान विभाग सी० एम० ए० और रेल विभाग में गहरा समन्वय हो। क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में हमने एक ओर तो कोयला खानों की वास्तविक आस्तियों के मुल्यांकन को और दूसरी ओर भण्डार आदि को आधार बताया है। हमने प्रदत्त पूंजी या ऋण को आधार नही बताया है।

ए० सी० सी० फैक्टरी के बंद होने की जानकारी हमे नहीं है। इसके बारे में ब्यौरा दिये जाये जाने पर हम इसके बारे में कुछ करेंगे।

जहां तक मजदूरों के बेकार होने का प्रश्न है, इस बारे में सदस्य महोदय आश्वस्त रहें कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया जायगा। मैं सभा द्वारा विधेयक को स्वीकार करने के लिए सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

चलचित्र (संशोधन) विधेयक—जारी
THE CINEMATOGRAPH (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

सभापति महोदय : अब हम श्री धर्मवीर सिंह द्वारा 20 फरवरी 1973 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे, अर्थात् :

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाय ।"

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : आप देखेंगे कि व्यापक विधेयक लाने में सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया है। वर्तमान अधिनियम भी पुराना हो चुका है। फिल्म उद्योग में बड़े बड़े लोग तो सरकार की नज़र से बच जाते हैं किन्तु छोटे निर्माताओं को काफी असुविधा का सामना करना पडता है। यह अस्विकार है कि कोरी फिल्मों पर सभी कर हटा लिए जायें। इससे छोटे निर्माताओं को लाभ होगा।

पश्चिम बंगाल में छबिगृह संरक्षण पद्धति प्रचलित है। इसके अंतर्गत चलचित्र प्रदर्शन से होने-वाले लाभ का काफी अधिक भाग छबि गृह के मालिकों को चला जाता है और निर्माताओं या कर्मचारियों को बहुत कम लाभ मिल पाता है। मेरा निवेदन है कि एक ऐसा विधयक लाया जाना चाहिये जिससे अन्य बातों के साथ-साथ इस छबिगृह संरक्षण पद्धति को भी समाप्त किया जा सके ।

इसके अतिरिक्त, सेंसर के बारे में मुझे यह कहना है कि सेंसर का कार्य केवल यही होना चाहिये कि चलचित्रों में ऐसी कोई बात न हो जो राजनितिक दृष्टिकोण से आपत्तिजनक हो। जहां तक अश्लीलता या भद्देपन का सम्बन्ध है, उसे रोकने के लिए अन्य कानून बने हुए हैं।

फिल्म उद्योग में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए भी कोई कानून नहीं है।

आप इस उद्योग की वर्तमान स्थिति में तभी सुधार कर सकेंगे, जब आप इन के बारे में निकट से जान-कारी प्राप्त कर लेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : इस विधेयक का सामान्य रूप से स्वागत किया गया है।

इस विधेयक का सम्बन्ध केवल वर्तमान चलचित्र अधिनियम का विस्तार जम्मू तथा काश्मीर तक करने का है। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि इस विषय पर एक व्यापक चलचित्र विधेयक बनाया जाना चाहिये। हम ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत करेंगे।

फिल्म जन संचार एक समस्त माध्यम होने के कारण सरकार एक व्यापक फिल्म नीति बनाने जा रही है। हमें विश्वास है कि इस नीति से फिल्म उद्योग का वर्तमान संकट समाप्त हो जायेगा।

मैं विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र अधिनियम 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किय गये रूप में विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय खण्ड 2 के सम्बन्ध में संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत कर रहे है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : जी हां, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

संशोधन किया गया।
Amendment made.

पृष्ठ -1 पंक्ति 13 (संख्या 3)

"1972" के स्थान पर "1973" रखा जाये ।

for 1972 Substitute 1973

(श्री इन्द्रकुमार गुजराल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 3 से 5 तक के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 से 5 तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted,

खण्ड 3 से 5 तक विधेयक में दिये जोड दिये गये ।

Clause 3—5 were added to the Bill.

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय खण्ड 1 के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री इन्द्रकुमार गुजराल : जी हां , मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ।

संशोधन किया गया

Amendment made.

पृष्ठ-1, पंक्ति 4 (संख्या 2)

"1972" के थान पर" 1973" रखा जाये ।

for "1972" substitute "1973".

(श्री इन्द्रकुमार गुजराल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक म जोड़ा गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय **अधिनियमन सूत्र** के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत कर रह हैं ।

श्री इन्द्रकुमार गुजराल : जी हां ।

संशोधन किया गया

Amendment made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 (संख्या 1)

"तेईसवें" के **स्थान पर** "चौबीसवां" रखा जाये

for "twenty-third" substitute "twenty-fourthi"

(श्री इन्द्रकुमार गुजराल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
Amendment was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।
The Enacting Formula, as amended was added to the Bill.

पूरा नाम विधेयक में जोड़ा गया।
The Title was added to the Bill

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

शिशु (संशोधन) अधिनियम
THE APPRENTICES (AMENDMENT) BILL

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि शिशु अधिनियमन, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाय।"

क्योंकि यह विधेयक विवादग्रस्त नहीं है और चूंकि माननीय सदस्य इसे बिना चर्चा के पारित करना चाहते हैं, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा **(व्यवधान)**।

कन्फेडरेशन आफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा वेतन आयोग के प्रतिवेदन की ठीक जांच करने के बारे मे प्रधान मंत्री से अनुरोध *

REQUEST BY CONFEDERATION OF CENTRAL GOVERNMENT OFFICERS ASSOCIATION TO THE PRIME MINISTER FOR FAIR SCRUTINY OF PAY COMMISSIONS REPORT*

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Chairman, people had been waiting for the Third Pay Commission Report very anxiously. It had been assured by the Government that they are trying to obtain the report as early as possible. Now after receiving Commission's Report after three years, it has caused frustration and disappointment among the Government employees. The Report is completely unsatisfactory. In this report, technocrats and engineers have completely been ignored; these people are feeling greatly desperate. This report has not done justice even to our forces. Nobody is happy with this report. The nation cannot be allowed to be run by these I.A.S. and I.P.S. people.

The commission is not worried about the pitiable condition of the employees. Its main worry is see to that higher pay is not given to the employees of Public Sector Undertaking. If the Government does not reject the checks suggested by the Commission, there is doubt that even the few facilities which the employees are getting at present, will be further curtailed.

There had been an abnormal increase in prices and the Government had not been able to check prices. Keeping this point in view the recommendations of the Pay Commission are not only disappointing but are against the intrest of employees in certain cases.

---

*आंधे घंटे की चर्चा।
*Half-an-Hours Discussion.

The Government should enter into negotiations with confederation of central Government employees and arrive at certain agreement in regard to the recommendations of Pay Commission.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वेतन आयोग के प्रतिवेदन से केन्द्रीय सरकार के लगभग 28 लाख कर्मचारियों और सेना, नौसेना तथा वायुसेना के कार्मिकों को बड़ी निराशा हुई है। आयोग ने आई० ए० एस० के न्यूनतम वेतनमान में 300 रुपये की वृद्धि की सिफारिश की है और तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में बहुत थोड़ी वृद्धि करने की सिफारिश की है। जबकि ये कर्मचारी सरकार की रीठ की हड्डी हैं। वेतन आयोग के प्रतिवेदन से इन कर्मचारियों की सभी आशायें धूल में मिल गई हैं।

सरकारी कर्मचारी 250 रुपये की आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं। यह 185 रुपये प्रतिमास का न्यूनतम वेतन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महासंघ या किसी भी अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ को मान्य नहीं होंगे।

वेतन आयोग ने कहा है कि उसकी सिफारिशें पहली मार्च, 1973 से लागू की जायें। किन्तु वेतन आयोग ने तीन वर्ष बाद अपनी सिफारिशें दी हैं। सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में की गई सिफारिशों को वेतन आयोग की नियुक्ति की तारीख से लागू किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त जो लोग 1970, 1971, 1972 में तथा 28 फरवरी, 1973 को भी सेवा निवृत्त हुये है उन्हें भी सेवा निवृत्त लाभ आदि की बकाया राशि नहीं मिल सकेगी। इससे इन कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय होगा। सरकार को इन कर्मचारियों के साथ भी बातचीत करनी चाहिये।

सरकारी कर्मचारियों में घोर असन्तोष तथा क्रोध व्याप्त है। जब तक उनके लिये कुछ नहीं किया जाता तबतक वे "न्याय अथवा आन्दोलन" का नारा लगाते रहेंगे। जब तक प्रतिवेदन में कर्मचारियों की सन्तुष्टि के अनरूप परिवर्तन नहीं किया जाता तबतक समूचे देश में गंभीर श्रम संकट होने की संभावना रहेगी।

इस प्रतिवेदन की सिफारिशों पर निर्णय करने से पूर्व मंत्री महोदय को संसद सदस्यों के साथ चर्चा करनी चाहिये। सरकार को कर्मचारियों के साथ द्विपक्षीय समझौता भी करना चाहिये तथा उन्हें विश्वास में लेना चाहिये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हमारी सरकार समाजवाद की बातें करती है और हमारी तथा साथ ही हमारी जनता के न्यूनतम आय वर्ग के साथ न्याय की बात करती है, किन्तु इसके विपरीत वेतन आयोग ने अवर सचिवों तथा अन्य उच्च अधिकारियों के वेतन में 200, 300 रुपये की वृद्धि की सिफारिश की है जबकि दूसरी ओर तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 10 रुपये से 20 रुपये तक वृद्धि करने की सिफारिश की है। सरकार को यह बताना चाहिये कि क्या वे तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में परिवर्तन करेंगे।

वेतन आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की 1968 में हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण हुई थी। उस समय मुख्य मामला आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी का था। किन्तु आयोग ने उसे रद्द कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी के सिद्धान्त को मानती है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को भूतलक्षी प्रभाव से, कम से कम आयोग की स्थापना की तिथि से मानेगी। क्या वेतन आयोग के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के कक्ष के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

मैं प्रतिवेदन की जांच कर रहे कक्ष के गठन के सम्बन्ध में भी जानना चाहता हूं। क्या वेतन आयोग के प्रतिवेदन की संवीक्षा और परीक्षण करने के बाद सरकार की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिये संसद को उचित अवसर दिया जायेगा?

Shri Bibhuti Misra (Motihari) : The Government should formulate a national Pay policy for the farmers, workers, employees and other class of workers. The Government should also try to reduce the disparity of pay among the workers of different categories.

The Government should keep their employees contended and satisfied and should take an early decision on Pay Commission's Report. The Govt. should announce its decision on the Report before the session comes to an end and if it is not possible the decision should be announced in the next session to be held in July-August.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने की मांग उचित ही है। इस के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये सरकार को कुछ समय निकालना चाहिये।

राज्य सरकारी कर्मचारी 250 रुपय न्यूनतम वतन तथा जीवन निर्वाह सूचकांक की लागत में हुई वृद्धि के लिये पूरी लागत की मांग कर रह हैं। सरकार एकाधिकार तथा धनी वर्ग की समर्थक है इसलिये वह मूल्य वृद्धि को रोकने में पूर्णतया असफल रही है। इसलिये सरकार का यह कतव्य हैं कि वह कर्मचारियों की आवश्यकता पर आधारित वेतन दे।

इसलिये सरकार को कर्मचारियों के नेताओं से बातचीत करनी चाहिय तथा उनके साथ उचित समझौता करना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : सरकार का यह इरादा नहीं हैं कि इस पर वाद-विवाद न किया जाय। हम स्वयं इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व सदस्यों के विचारों को जानना चाहते हैं। किन्तु इस समय सरकार इस विषय के गुण-दोषों पर अपने विचार व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हैं।

कुछ लोगों को इस सम्बन्ध में व्यर्थ की आशंकायें हैं तथा वे सोचते हैं कि केवल वे ही सरकारी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हैं। वे सरकार के कमचारी हैं और सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण तथा हितों के प्रति पूरी तरह चिन्तित है। हम अपनी नीतियों को लागू करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में इनका सहयोग तथा सक्रिय समर्थन चाहते हैं।

वेतन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश था तथा उसकी कार्यवाही का क्षेत्र बड़ा व्यापक तथा जटिल था। इसलिये इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगा। हम वेतन आयोग के सदस्यों के मतभेदों पर विचार करना चाहते हैं, नहीं तो यह एक कठिन समस्या बन जायेगी। उनके विचारों में परस्पर मतभेद है। तथा विमतिटिप्पण भी हैं। हम सभी पहलुओं पर विचार करके सरकारी कर्मचारियों के कल्याण, हितों तथा सन्तुष्टि का ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का निर्णय किसी कक्ष में नहीं किया जायेगा, चाहे वह वित्त मंत्रालय में हो अथवा और कहीं। अन्ततः निर्णय मंत्रिमंण्डल द्वारा ही किया जायेगा। तथा जब मंत्रिमण्डल इस प्रश्न पर विचार करेगा तो स्वाभाविक रूप से इस प्रश्न के सभी पक्षों पर विचार किया जायेगा। वह वतन आयोग के बहुमत प्राप्त विचार का अध्ययन करेगा और विमतटिप्पण पर भी विचार करेगा। उस मूल्यवृद्धि, आर्थिक जटिलताओं पर भी विचार करना होगा। इस सम्बन्ध में इन आशंकाओं का वातावरण नहीं पैदा करना चाहिये कि सरकार अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखती वरन् केवल विरोधी दल के नेता उनके हितों का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार का वातावरण कर्मचारियों के लिय हानिकर हैं।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन में कुछ बड़े बड़े प्रश्न, जैसे न्यूनतम वेतन आदि सम्मिलित हैं। इन बडे तथा महत्वपूर्ण मामलों पर पहले निर्णय किया जाना आवश्यक है। मंत्रिमण्डल पहले इन बड़े मामलों पर विचार करेगा। यह स्वाभाविक बात है कि इसमें कुछ समय लगेगा। तथा इस सम्बन्ध में हमें अवश्य ही सदस्यों के विचार सुनने का अवसर मिलेगा।

सरकार इस प्रश्न पर खुले दिमाग से विचार करने को तैयार है। हम अपने कर्मचारियों के साथ न्याय करना चाहते हैं, साथ ही हम उन लोगों के साथ भी न्याय करना चाहते हैं जोकि बड़ी संख्या में असंगठित हैं।

जहांतक कक्ष के गठन का सम्बन्ध है इसमें सभी सरकारी कर्मचारी हैं। इसका अध्यक्ष एक आई० ए० एस० अधिकारी है, जो कार्मिक विभाग में कार्य कर चुका है। उसका वेतन आयोग के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। वह बहुत योग्य तथा निष्पक्ष अधिकारी है। और मैं यह भी बतलादूं कि उसे निर्णय स्वयं नही करना है। अन्तिम निर्णय उच्चतम राजनीतिक स्तर पर, प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल के स्तर पर लिया जायेगा। यदि आप किसी समय इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगें, तो हम इसमें बाधक नहीं होगें। इस सम्बन्ध में जब हम कोई निर्णय करेंगे तो सभाको सूचित करेंगे।

तत्पश्चात, लोकसभा मंगलवार, 15 मई, 1973/25 वैशाख 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, May 15, 1973/Vaisakha 25, 1895 (Saka).

GIPN—S8—13 L.S.S./ND/73—23-8-73—490.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]